PICU

मध्यप्रदेश शासन

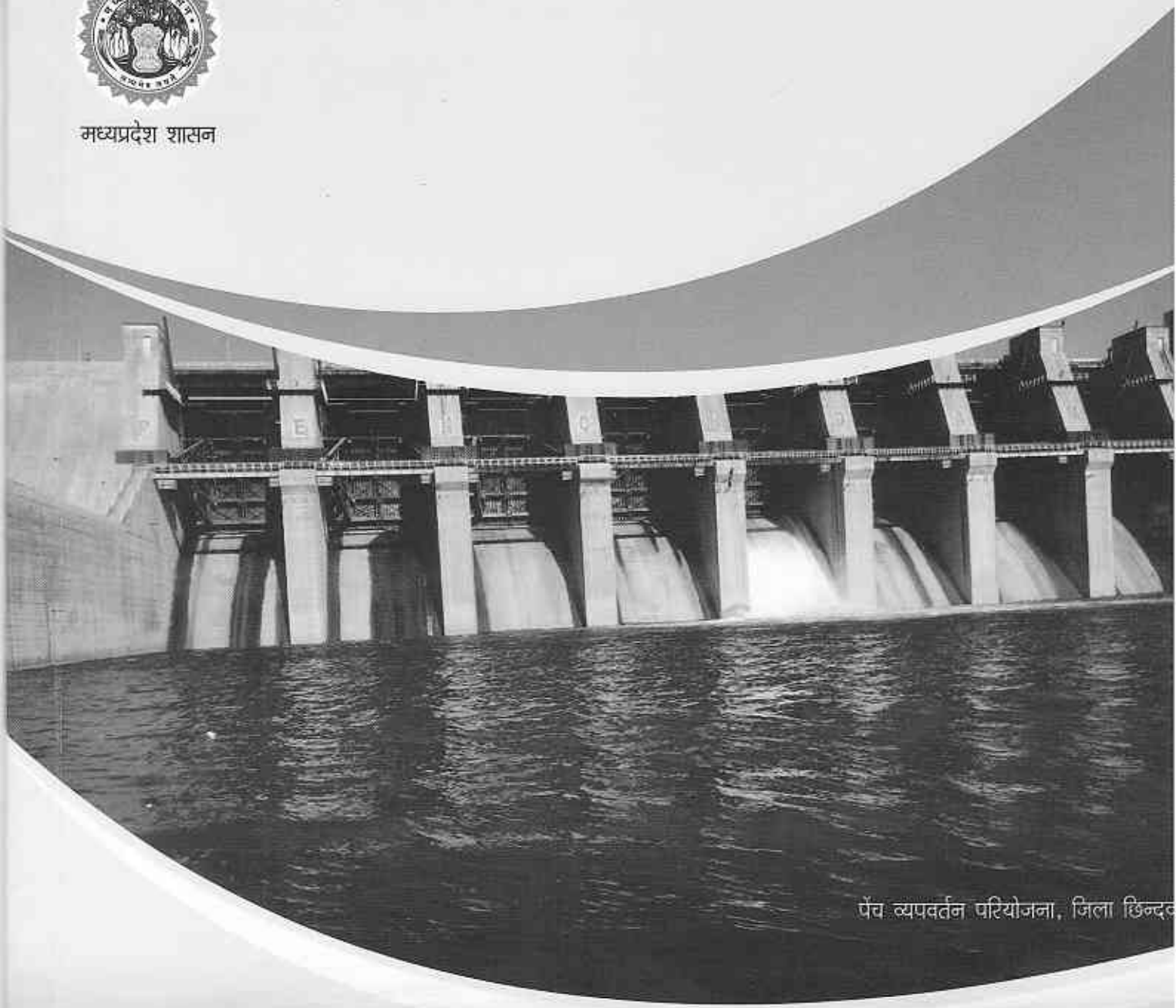

पेंच व्यपवर्तन परियोजना, जिला छिन्दव

प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष 2016-17

जल संसाधन विभाग

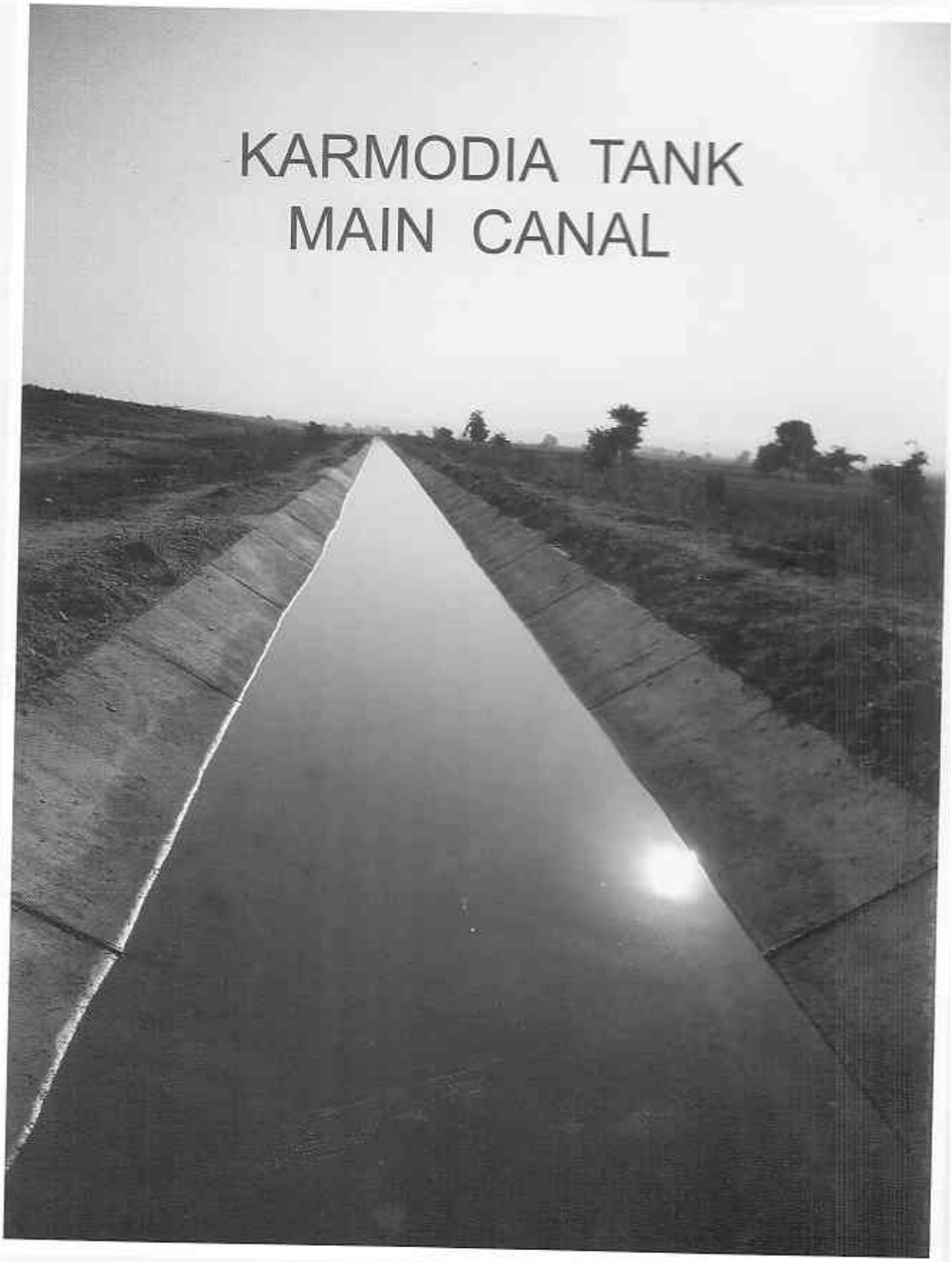

करमोदिया मुख्य नहर जिला–रायसेन

मध्यप्रदेश शासन

प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष 2016-17

जल संसाधन विभाग

जल संसाधन विभाग
प्रशासकीय प्रतिवेदन
वर्ष 2016–17

➤	विभाग का नाम	जल संसाधन विभाग
➤	मंत्री	मान. डॉ. नरोत्तम मिश्रा
मंत्रालय		
➤	प्रमुख सचिव	श्री पंकज अग्रवाल
➤	उपसचिव	श्री व्ही.एस. टेकाम श्री आर.पी एस. जादौन
➤	अवर सचिव	श्री पी.के. खरे
विभागाध्यक्ष		
➤	प्रमुख अभियन्ता	श्री राजीव कुमार सुकलीकर
➤	आयुक्त, कमाण्ड क्षेत्र विकास	श्री राजीव कुमार सुकलीकर
➤	परियोजना संचालक, विश्व बैंक परियोजनाएं, भोपाल	रिक्त

कृषक-जलाशय कृषि-उत्पाद,
जल संसाधन करे विकास

बांध हैं नदियों का विश्राम,
थोड़ा तो दें इन्हें विराम

जय-जलाशय जय-किसान,
वरुण देव जब हों मेहरबान

जल है तो कल है,
किसान है तो अनाज है

सुखी किसान वह राष्ट्र महान,
जन-जन का करता कल्याण

कृषकों का है हिन्दुस्तान,
नहरें सीचें गेहूं-धान

मोहनपुरा सा बांध महान,
राजगढ़ हो जिला सुजान

कुण्डालिया जल-महाकुण्ड
हर किसान के बाढ़े अन्न

विषय विवरणिका

अध्याय	विषय	पृष्ठ क्रम
अध्याय–1	**विभाग की संरचना**	**5–9**
1.1	प्रदेश की सामान्य जानकारी	5
1.2	विभाग की संरचना	6–7
1.3	विभाग के अंतर्गत आने वाले मंडल–संभागों का विवरण	7
1.4	विभाग का दायित्व	7–8
1.5	विभाग के अधिकारियों के दायित्व एवं कार्य	8–9
अध्याय–2	**विभागीय बजट**	**10–13**
2.1	पंचवर्षीय योजना	10
2.2	बजट प्रावधान प्राप्त आवंटन एवं व्यय	11
2.3	विभाग में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग	11–13
अध्याय–3	**राज्य परियोजनायें तथा केन्द्र प्रवर्तित परियोजनायें**	**14–24**
3.1	विभाग के अधीन परियोजनाएँ	14
3.1.1	वृहद परियोजनाएँ	15–16
3.1.2	मध्यम परियोजनाएँ	16–18
3.1.3	लघु सिंचाई परियोजनाएँ	19
3..2	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	19–2
3.3	कमाण्ड क्षेत्र विकास	20
3.4	विश्वबैंक पोषित राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजनाएँ	21–23
3.5	नाबार्ड ऋण सहायता प्राप्त परियोजनाएँ	23
3.6	विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित परियोजना 'ड्रिप' (DRIP)	23
3.7	बुन्देलखण्ड क्षेत्र विकास हेतु विशेष पैकेज	24

अध्याय–4	**सिंचाई एवं राजस्व**	**25–28**
4.1	सिंचाई	25–26
4.2	राजस्व	27–28
4.3	प्रयोजनवार जल राजस्व वसूली की स्थिति	28
अध्याय–5	**विभाग की महत्वपूर्ण संरचनाएँ**	**29–38**
5.1	बांध सुरक्षा संगठन	29–30
5.2	संचालक पी.आई.एम.	30
5.3	सिंचाई अनुसंधान संचालनालय	31–32
5.4	जल मौसम विज्ञान संचालनालय	32–33
5.5	भूजल सर्वेक्षण इकाई	33
5.6	केन बेतवा लिंक परियोजना	33–34
5.7	जल संसाधन विभाग के अंतर्गत लोकायुक्त एवं अन्य शिकायती प्रकरण	34–36
5.8	न्यायालयीन प्रकरण	36
5.9	विधानसभा प्रकोष्ठ	36
5.10	सूचना का अधिकार	37
5.11	दृष्टिपत्र – 2018	37–38
अध्याय–6	**जेण्डर मुद्दों पर विभागीय गतिविधि**	**39**
अध्याय–7	**विभाग की प्रतिबध्दताएँ एवं महत्वपूर्ण उपलब्धियॉं**	**40–42**
7.1	विभाग की प्रतिबध्दता	40
7.2	महत्वपूर्ण उपलब्धियॉं	41–42

अध्याय – एक
विभाग की संरचना

1.1 प्रदेश की सामान्य जानकारीः–

मध्यप्रदेश राज्य की सीमाएं महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तरप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्यों से लगी हैं। प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल 308 लाख हेक्टर है। जलवायु मूलतः उष्ण कटिबंधीय एवं दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व मानसून पर आश्रित है। इसे 7 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। प्रदेश में कुल वार्षिक वर्षा सामान्यतः उत्तर पश्चिमी भाग में 60 से.मी. तथा दक्षिण पूर्वी भाग में 100 से 120 से.मी. होती है। मध्यप्रदेश की जनसंख्या (जनगणना 2011) के अनुसार 726.27 लाख है, जो देश की जनसंख्या का 6 प्रतिशत है। राज्य की जनसंख्या का 69.08 प्रतिशत कृषि पर निर्भर हैं। कृषकों में से 52 प्रतिशत कृषक सीमांत कृषक हैं।

1.1.1 मध्यप्रदेश जल स्त्रोतों से संपन्न राज्य है। राज्य में नर्मदा, चंबल, बेतवा, केन, सोन, ताप्ती, पेंच, वैनगंगा एवं माही नदियों का उद्गम स्थल है। राज्य की नदियां केवल वर्षा पोषित हैं, क्योंकि इनका उद्गम हिम विहीन पर्वतों से है। प्रदेश की नदियां सभी दिशाओं में प्रवाहित होती हैं। माही एवं ताप्ती नदी पश्चिम में; सोन नदी पूर्व में; नर्मदा एवं ताप्ती नदी पश्चिम की ओर; चम्बल, बेतवा, केन उत्तर की ओर; तथा पेंच एवं वैनगंगा नदी दक्षिण की ओर प्रवाहित होती हैं। प्रदेश का औसत सतही जल प्रवाह 75 प्रतिशत निर्भरता पर 81500 मिलियन घनमीटर है, जिसमें 56800 मिलियन घनमीटर प्रदेश को आवंटित है। शेष 24700 मिलियन घनमीटर जल अंर्तराज्यीय समझौते के अंतर्गत पड़ोसी राज्यों को आवंटित है। प्रदेश में भूगर्भीय जल की मात्रा 34159 मिलियन घनमीटर आंकलित है।

1.1.2 मध्यप्रदेश में लगभग 155.25 लाख हेक्टर कृषि योग्य भूमि है। वर्ष 2015–16 तक जल संसाधन विभाग द्वारा 28.60 लाख हैक्टर सकल सैंच्य क्षेत्र विकसित किया गया था, जिसके विरूद्ध रबी 2015–16 में 24.45 लाख हेक्टर एवं खरीफ में 3.05 लाख हेक्टर कुल 27.50 लाख हेक्टर में सिंचाई की गई। वर्ष 2016–17 में जनवरी 2017 तक सकल सैंच्य क्षेत्र 29.66 लाख हेक्टर विकसित किया गया है। जिसके विरूद्ध खरीफ में 2.51 लाख हेक्टर एवं रबी में 26.39 लाख हेक्टर कुल 28.90 लाख हेक्टर क्षेत्र में सिंचाई की गई है। हमारा लक्ष्य प्रदेश के समस्त शासकीय स्त्रोतों से वर्ष 2025 तक सिंचाई क्षमता बढ़ाकर 60 लाख हेक्टर करना है। विभाग द्वारा निर्मित बॉधों से अधिकांश महानगरों, नगरों एवं कस्बों में पेयजल हेतु पानी भी प्रदान किया जा रहा है।

1.2 विभाग की संरचना

मध्यप्रदेश में जल संसाधन विभाग की स्थापना वर्ष 1956 में की गई। जल संसाधन विभाग को, प्रदेश में शासकीय जल स्त्रोतों से जल संसाधन परियोजनाओं का विकास तथा प्रबंधन (नर्मदा घाटी की वृहद् परियोजनाओं को छोड़कर) का दायित्व सौंपा गया है। प्रदेश की सभी सिंचाई परियोजनाओं के सैंच्य क्षेत्रों के विकास कार्यक्रम का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण विभाग के अधीन है। जल संसाधन विभाग की स्थापना में दो विभागाध्यक्ष (1 प्रमुख अभियन्ता, जल संसाधन एवं 1 आयुक्त, कमाण्ड क्षेत्र विकास संचालनालय) एवं 14 मुख्य अभियन्ता के पद स्वीकृत हैं।

1.2.1 प्रमुख अभियन्ता, जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत मैदानी मुख्य अभियंताओं का जिलेवार अधिकार क्षेत्र इस प्रकार है:–

1. **चम्बल बेतवा कछार, भोपालः**
   जिला भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा, राजगढ़, गुना एवं अशोकनगर।
2. **नर्मदा ताप्ती कछार, इंदौरः**
   जिला इंदौर, खण्डवा, बुरहानपुर, खरगौन, बड़वानी, धार, झाबुआ, अलिराजपुर, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच, देवास, शाजापुर एवं आगर मालवा।
3. **होशंगाबादः**
   जिला बैतूल, होशंगाबाद, हरदा तथा बारना (रायसेन एवं सीहोर जिला) एवं कोलार वृहद परियोजना (जिला सीहोर) का सिंचित क्षेत्र।
4. **यमुना कछार, ग्वालियरः**
   जिला ग्वालियर, शिवपुरी, भिण्ड, मुरैना एवं श्योपुर–कलां (सिंध परियोजना द्वितीय चरण को छोड़ कर)।
5. **गंगा कछार, रीवाः**
   जिला रीवा, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, सीधी, सिंगरौली एवं सतना।
6. **धसान केन कछार, सागरः**
   जिला सागर, छतरपुर, पन्ना, दमोह एवं टीकमगढ़।
7. **बैनगंगा कछार, सिवनीः**
   जिला सिवनी, छिन्दवाड़ा, बालाघाट, मण्डला, डिंडोरी, जबलपुर, नरसिंहपुर एवं कटनी।
8. **राजघाट नहर परियोजना, दतियाः**
   राजघाट नहर एवं सिंध परियोजना द्वितीय चरण का कार्य जिससे दतिया, ग्वालियर, शिवपुरी, टीकमगढ़, अशोकनगर जिलों में सिंचाई होती है।

1.2.2 मुख्य अभियन्ता (विशेष प्रयोजन)

1. मुख्य अभियंता, ब्यूरो ऑफ डिजाईन (बोधी), भोपाल
2. मुख्य अभियंता, विद्युत यांत्रिकी भोपाल
3. मुख्य अभियंता, विश्व बैंक परियोजनाएं, भोपाल, इनके कार्यक्षेत्र में राजगढ़ जिले की दो वृहद परियोजनाएं मोहनपुरा एवं कुण्डालिया हैं।
4. मुख्य अभियंता, (प्रोक्योरमेंट) केन्द्रीय निविदा इकाई, भोपाल
5. मुख्य अभियंता, नर्मदा–मालवा लिंक परियोजना, भोपाल
6. मुख्य अभियंता, अन्तर्राज्यीय जल समझौता इकाई, भोपाल

1.2.3 आयुक्त, कमांड क्षेत्र विकास संचालनालय, भोपाल

1.3 विभाग के अंतर्गत आने वाले कार्यालयों का विवरण

जल संसाधन विभागान्तर्गत प्रमुख अभियंता, आयुक्त (प्रमुख अभियन्ता स्तर) कमांड क्षेत्र विकास, परियोजना संचालक, विश्व बैंक परियोजनायें (मुख्य अभियंता स्तर) भोपाल सहित 13 मुख्य अभियंता (नागरिक), एक मुख्य अभियन्ता (वि.यां.), 34 मंडल कार्यालय, आयाकट से संबंधित 9 प्रकोष्ठ, 128 संभाग तथा 545 उपसंभाग कार्यरत हैं। वर्तमान में विभाग में प्रथम श्रेणी के 349, द्वितीय श्रेणी के 1164, तृतीय श्रेणी के 8234 तथा चतुर्थ श्रेणी के 1384 पद स्वीकृत हैं। नियमित स्थापना के कर्मचारियों के साथ–साथ विभाग में कार्यभारित स्थापना के लगभग 6385 कर्मचारी कार्यरत हैं। इस अमले द्वारा मध्यप्रदेश में वृहद्, मध्यम एवं लघु परियोजनाओं से सबंधित सर्वेक्षण, निर्माण एवं अनुरक्षण कार्य किये जा रहे हैं। साथ ही स्वारा एवं स्वाराडेक अंतर्गत विभिन्न संभागों में 26 पद प्रति माह मानदेय पर स्वीकृत हैं। स्थायी कर्मियों की संख्या भी लगभग 11,400 है।

1.4 विभाग का दायित्व

- मध्यप्रदेश में उपलब्ध जल संसाधनों के समुचित एवं समन्वित विकास का दायित्व जल संसाधन विभाग को सौंपा गया है। जिसके अंतर्गत :–
- राज्य के जल संसाधन का आंकलन करना और एकीकृत जल संसाधनों के विकास एवं प्रबंधन की व्यापक योजना बनाना, नीति निर्धारित करना और जल के समन्वित उपयोग को प्रभावशील करने के लिये मार्गदर्शक सिद्धान्त जारी करना।
- जल संसाधनों के विकास में एकरूपता लाना तथा प्रौद्योगिकी और अनुसंधान की सहायता से जल संसाधनों के उपयोग की योजना बनाना।
- सिंचाई परियोजनाओं के कमांड क्षेत्र के विकास के क्रियान्वयन का कार्य करना।

- भू–जल संसाधनों को योजनाबद्ध रूप से सतही जल के साथ एकीकृत कर, सिंचाई के लिए जल संसाधनों के सम्यक अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, आंकडों को एकत्रित कर, उनका अध्ययन एवं विश्लेषण करना तथा नीति निर्धारण।
- परियोजनाओं का सर्वेक्षण एवं अनुसंधान तथा परियोजनाओं का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाना।
- वृहद, मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण तथा, निर्मित सिंचाई परियोजनाओं का अनुरक्षण।
- बांधों, नहरों का समग्र रूपांकन, निर्माण सामग्री का प्रयोगशाला परीक्षण तथा प्रतिकृति अध्ययन।
- बाढ़ नियंत्रण योजनाएं बनाना तथा जल विज्ञान की सहायता से जलाशयों का बाढ़ के समय परिचालन।
- सहभागिता सिंचाई प्रबंधन की नीति के अनुरूप सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी को प्रोत्साहन।
- पुराने बांधों का सुदृढ़ीकरण करना।
- केन्द्र शासन को जल संसाधन से संबंधित विभिन्न विषयों पर सहयोग एवं जानकारी उपलब्ध कराना।
- अन्तर्राज्यीय परियोजनाओं से सबंधित परिषदों में प्रदेश का पक्ष रखना।
- अन्तर्राज्यीय परियोजनाओं से राज्यों के मध्य अनुबंध अनुसार सिंचाई के लिये जल प्राप्त/प्रदाय करना।
- जल से सबंधित विषयों पर अन्य विभागों को सहयोग देना।
- विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्थापना संबंधी कार्य एवं संवर्ग प्रबन्धन।
- विभागीय कार्यों की दरों को समय–समय पर पुनरीक्षित करना, तकनीकी निर्देश, नियम इत्यादि तैयार करना।

1.5 जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के उत्तरदायित्व एवं कार्य

1.5.1 प्रमुख अभियंता

जल संसाधन विभाग के प्रमुख अभियंता, विभागाध्यक्ष के रूप में समस्त प्रदेश के लिये कार्यरत हैं। प्रमुख अभियंता शासन के लिए अपने कार्यक्षेत्र हेतु सलाहकार हैं तथा मुख्य अभियन्ताओं के बीच समन्वय का कार्य करते हैं।

1.5.2 मुख्य अभियंता

मुख्य अभियंता, अपने कार्य क्षेत्र के अंतर्गत जल संसाधन विकास की समस्त परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिये सर्वेक्षण, निर्माण, अनुरक्षण कार्य एवं सिंचित क्षेत्र का विकास कराते हैं। वे अपने कार्य क्षेत्र की कार्य योजना बनाने, कार्यों के क्रियान्वयन एवं वित्तीय अनुशासन लागू करने के लिए उत्तरदायी हैं।

1.5.3 अधीक्षण यंत्री

अधीक्षण यंत्री अपने क्षेत्र के अधीन लेखा, कार्य, रूपांकन, अनुसंधान इत्यादि कार्यो के सम्पादन के लिए उत्तरदायी हैं। अधीक्षण यंत्री अपने कार्य क्षेत्र के अतंर्गत कार्यपालन यंत्री, सहायक यंत्री, उपयंत्री एवं अन्य संवर्ग के अधिकारी/कर्मचारियों के लिये नियंत्रण अधिकारी हैं। कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम के क्रियाकलापों में गतिशीलता प्रदान करना भी उनका दायित्व है।

1.5.4 कार्यपालन यंत्री

कार्यपालन यंत्री विभाग के जिला स्तरीय कार्यालय प्रमुख हैं। वे अधीक्षण यंत्री के नियंत्रण में अपने कार्य क्षेत्र में आने वाले समस्त कार्यों के सफल क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी हैं। कार्यपालन यंत्री के कार्यों में सिंचाई, परियोजना तैयार करना, निर्माण, रख–रखाव एवं सिंचाई के साथ अन्य समस्त अभियांत्रिकीय कार्य हैं। कार्यों पर नियंत्रण रखकर क्रियान्वयन कराना कार्यपालन यंत्री का दायित्व है। जल संसाधन संभाग में पदस्थ कार्यपालन यंत्री उसके जिले में जल संसाधन विभाग के प्रतिनिधि का काम करता है।

1.5.5 सहायक यंत्री

कार्यपालन यंत्री के अधीन सहायक यंत्री अपने कार्य क्षेत्र के निर्माण कार्यों के क्रियान्वयन एवं मानक गुणवत्ता के अनुरूप निर्माण तथा सिंचाई कराने के लिए प्रत्यक्ष उत्तरदायी है। सहायक यंत्री अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के सहयोग से मापदण्ड, ड्राईंग एवं नियमों के अंतर्गत कार्यों का सम्पादन कराने के लिये उत्तरदायी हैं। अनुविभागीय अधिकारी के प्रभार में रहते हुए सहायक यंत्री को अपने कार्य क्षेत्र में सिंचाई सुनिश्चित करना है एवं सिंचाई राजस्व वसूली के लिये उन्हें अतिरिक्त तहसीलदार की शक्तियॉ प्रदत्त हैं।

1.5.6 उपयंत्री

उपयंत्री कार्य स्थल पर कार्यों के प्रभारी हैं जो कार्यस्थल पर निर्माण कार्यो के निष्पादन एवं सिंचाई सुनिश्चित करते हैं। जल कर वसूली के लिए उन्हें नहर अधिकारी के अधिकार प्राप्त हैं। उपयंत्री जल उपभोक्ता संथा के सक्षम प्राधिकृत अधिकारी हैं।

अध्याय – दो

विभागीय बजट

2.1 पंचवर्षीय योजना :

दसवी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत वर्ष 2006–07 तक कुल 19.46 लाख हेक्टर सैंच्य क्षेत्र (CCA) निर्मित किया गया था। 11वीं पंचवर्षीय योजना वर्ष (2007–2012) में रू. 8715.33 करोड़ निवेश कर निर्मित सैंच्य क्षेत्र में 5.07 लाख हेक्टर सैंच्य क्षेत्र की वृद्धि कर कुल 24.53 लाख हेक्टर सैच्य क्षेत्र विकसित किया गया है। बारहवीं पंचवर्षीय योजना (वर्ष 2012–2017) में रु. 17614 करोड़ लागत से 5.66 लाख हेक्टर सैंच्य क्षेत्र विकसित किये जाने का लक्ष्य है। वर्तमान में जनवरी 2017 तक की स्थिति में कुल सैंच्य क्षेत्र 29.66 लाख हेक्टर विकसित किया जा चुका है।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत वर्ष 2016–17 में लक्ष्य एवं उपलब्धियॉ तथा 2017–18 के लक्ष्यों का विवरण तालिका अनुसार है :–

(राशि रुपये करोड में, सिंचाई लाख हेक्टर में)

योजना	बारहवीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य		वार्षिक योजना वर्ष 2016–2017 (जनवरी 2017 तक)				वार्षिक योजना 2017–18	
			लक्ष्य		उपलब्धि		लक्ष्य	
	वित्तीय प्रावधान	सिंचाई क्षमता	वित्तीय प्रावधान	सिंचाई क्षमता	व्यय	निर्मित सिंचाई क्षमता	प्रस्तावित वित्तीय प्रावधान	प्रस्तावित सिंचाई क्षमता
वृहद एवं मध्यम योजना	11850.80	3. 41	5352.55	0.75	4295.13	0.67	5987.50	1.00
लघु योजना	5408.00	2.25	1209.37	0.55	782.60	0.39	1016.46	0.75
बाढ़ नियंत्रण	80.00	–	13.50	-	3.75	–	10.00	–
आयाकट	275.20	–	350.20	-	281.60	–	400.00	–
कुल योग	17614.00	5.66	6925.62	1.30	5363.08	1.06	7414.96	1.75

2.2 बजट प्रावधान निवेश एवं व्यय

विभाग का वर्ष 2012–13 से बजट प्रावधान एवं व्यय का मदवार विवरण निम्नानुसार है:–

(रुपये करोड़)

वित्तीय वर्ष	योजना मद		गैर योजना मद		कुल योग	
	प्रावधान	व्यय	प्रावधान	व्यय	प्रावधान	व्यय
2012–2013	3105.97	3047.68	570.44	519.75	3676.41	3567.43
2013–2014	3311.08	3265.33	549.26	542.90	3860.34	3808.23
2014–2015	3609.66	3540.88	589.04	587.74	4198.7	4128.62
2015–2016	5295.74	5228	581.63	580.85	5877.37	5808.85
2016–2017 (जनवरी–2017 तक)	6925.62	5363.08	774.02	572.50	7699.64	5935.58

2.3 विभाग में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग

विभाग द्वारा किए जाने वाले कार्यों की प्रक्रिया को सरलीकृत करने एवं पारदर्शिता लाने के लिए विभाग में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है। शासन एवं विभागाध्यक्ष स्तर से जारी समस्त प्रशासनिक, तकनीकी आदेश व निर्देश विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित किए जा रहे हैं।

2.3.1 ई–प्रोक्योरमेंट :–

विभाग में ई–निविदा प्रणाली 01.02.2009 से प्रारम्भ हुई। प्रारम्भ में यह व्यवस्था राशि रू. 1 करोड़ से अधिक के कार्यो के लिए थी, परन्तु वर्तमान में विभाग की समस्त निविदाएं ई–निविदा के माध्यम से आंमत्रित की जा रही हैं।

निविदाओं के निराकरण में लगने वाले समय में कमी, पारदर्शिता एवं ठेकेदारों को समान अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विभाग ने 08/2011 में केन्द्रीकृत निविदा प्रकोष्ठ का गठन किया गया था। रू. 20.00 लाख से अधिक लागत के कार्यों की निविदाओं के आमंत्रण से ऐजेंसी निर्धारण की कार्यवाही इस प्रकोष्ठ द्वारा की जाती है।

वर्ष 2016–17 में (जनवरी 2017 तक) रू. 20 लाख से अधिक राशि की ई–निविदा के माध्यम से प्रकोष्ठ द्वारा आंमत्रित निविदाओं एवं कार्यों, उनकी लागत एवं निराकृत प्रकरणों का विवरण निम्नानुसार है–

आमंत्रित की गई कुल निविदाएं	आमंत्रित कार्यों की कुल संख्या	आमंत्रित की गई निविदाओं की कुल राशि (रू. लाख में)	स्वीकृत कार्यों की कुल संख्या	स्वीकृत कार्यों की कुल राशि (रू. लाख में)
66	545	599618.709	403	363935.704

2.3.2 विभागीय प्रक्रियाएं ऑनलाईन करने के लिए 'इन्टरप्राइज इन्फारमेशन मैनेजमेंट सिस्टम –ई.आई.एम.एस' तैयार किया गया है जिसके उपयोग से मानिटरिंग की व्यवस्था सुदृढ़ हुई है। प्रमुख माड्यूल जो अभी उपयोग किए जा रहे हैं, वे निम्नानुसार हैं:–

- **'एस.एम.एस. बेस्ड रिजरवायर लेवल मानिटरिंग सिस्टम'**: विभाग के सभी वृहद एवं मध्यम जलाशयों की प्रतिदिन एस.एम.एस. से जलस्तर एवं जल की मात्रा की जानकारी वर्षाकाल में संकलित की जाती है।
- **'ई–मेजरमेंट बुक'**: रूपए दस लाख से अधिक के निर्माण कार्यों के अनुबंधों (टर्न की अनुबंधों को छोड़कर) में ठेकेदार के बिल तैयार करने में इसका उपयोग किया जा रहा है।
- **'नॉन एग्रीकल्चर रेवेन्यू मानिटरिंग'**: औद्योगिक उपयोग के प्रदाय जल के बिल तैयार करने एवं इस मद की राजस्व प्राप्ति की जानकारी की मानिटरिंग के लिए उपयोग किया जा रहा है।
- **'इरीगेशन मानिटरिंग माड्यूल'** :जलाशयों में जल के संग्रहण, सिंचाई के लक्ष्य निर्धारण एवं उपलब्धि की समीक्षा वेबसाईट पर जानकारी दर्ज कर की जाती है। रबी सीजन में सिंचाई की जानकारी पाक्षिक रूप से माह की 5 एवं 20 तारीख तक वेबसाईट पर अद्यतन की जाती है।
- **निविदा संबंधी आदेश**: (Tender Related Orders) इस खण्ड के अंतर्गत निविदा विज्ञप्ति, निविदाओं की स्वीकृति/अस्वीकृति संबंधी सूचना, निविदा मूल्यांकन संबंधी बैठकों एवं निविदा संबंधी नियमों/आदेशों का विवरण प्रदर्शित किया जाता है।
- **नवीन स्वीकृतियॉं**: (New Sanctions) इस खण्ड के अंतर्गत सिंचाई योजनाओं हेतु जानकारी प्रशासकीय स्वीकृति के आदेशों का प्रकाशन एवं विगत समय में जारी आदेशों का संकलन प्रदर्शित किया जाता है।
- विभाग प्रमुख एवं शासन से जारी होने वाले समस्त आदेशों को विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्शित किया जाता है।
- सामान्य तौर पर उपयोगी विभागीय तकनीकी परिपत्र, दरसूची, विनिर्देश एवं अधिनियम भी संबंधित खण्डों के अंतर्गत प्रदर्शित हैं, इन्हें समय–समय पर अद्यतन किया जाता है
- उक्त सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं के उपयोग से जल संसाधन विभाग के विभिन्न कार्यालयों में कागजी दस्तावेज संधारित करने की आवश्यकता घटकर लगभग 50 प्रतिशत हो गई है एवं सूचनाओं का आदान–प्रदान द्रुतगति से होने लगा है। इससे जल संसाधन विभाग की प्रशासनिक व्यवस्था सुदृढ़ एवं पारदर्शी हुई है।

मोहनपुरा सिंचाई परियोजना, जिला राजगढ़

अध्याय – तीन

राज्य परियोजनायें तथा केन्द्र प्रवर्तक परियोजनायें
सिंचाई परियोजनाएं

3.1 विभाग के अधीन परियोजनाएं

प्रदेश में विभाग के अधीन वर्तमान में 18 वृहद्, 37 मध्यम तथा 407 लघु सिंचाई योजनाएं निर्माणाधीन हैं। जल संसाधन विभाग के स्त्रोतों से जनवरी 2017 तक लगभग 29.66 लाख हेक्टर सकल सैंच्य क्षेत्र विकसित कर लिया गया है। आगामी 2 वर्षों में 1.75 लाख हेक्टर प्रतिवर्ष अतिरिक्त सकल सिंचाई क्षेत्र निर्मित किया जाना लक्षित है, जिससे निर्मित सिंचाई क्षमता 29.66 लाख से बढ़कर 33.16 लाख हेक्टर हो जाना संभावित है।

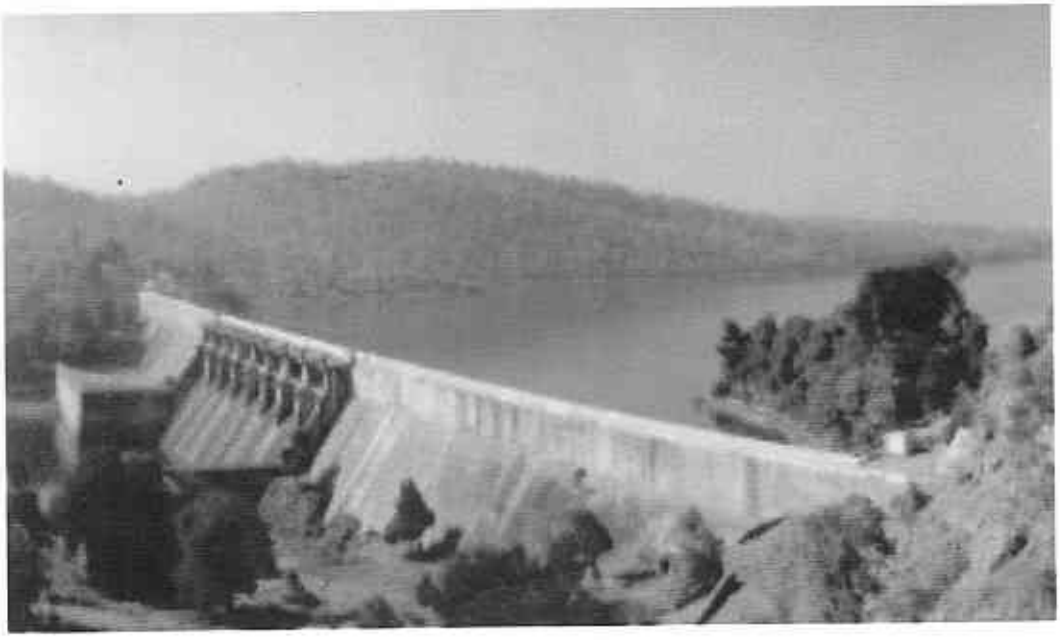

बारना वृहद् परियोजना, जिला रायसेन

3.1.1 वृहद परियोजनायें:

प्रदेश में 14 वृहद् परियोजनाएं पूर्ण की जा चुकी हैं। निम्न 18 वृहद् परियोजनाएं निर्माण के विभिन्न चरणों में है।

3.1.1.1 निर्माणाधीन वृहद परियोजनाएं:--

(राशि रु.करोड़ मे, सिंचाई हेक्टर में)

स. क्र.	परियोजना	जिला	लागत	सैंच्य क्षेत्र	भौतिक प्रगति		पूर्णता लक्ष्य
					बाँध	नहर	
1	बाणसागर नहर परियोजना	रीवा/सीधी/शहडोल / सतना	3858.73	291620	पूर्ण	फेज I- 95% फेज II-30%	10/2018
2	महान	सीधी	486.96	22770	99%	90%	3/2018
3	बरियारपुर बायीं नहर	छतरपुर	625.00	43850	100%	99%	03/2017
4	पंचमनगर परियोजना	दमोह	674.90	25000	100 %	10%	10/2019
5	माही विस्तारीकरण	धार/झाबुआ	834.24	33752	100%	70%	03/2018
6	गरोठ सूक्ष्म सिंचाई परियोजना	मंदसौर	360.27	21400	आवश्यक नहीं	1%	10/2019
7	सिंध द्वितीय चरण (हरसी हाई सहित)	ग्वालियर/भिंड/शिवपुरी /दतिया	2033.92	162100	99%	80%	06/2017
8	पंच व्यपवर्तन परियोजना	सिवनी/ छिन्दवाड़ा	2544.57	85000	95 %	75%	3/2019
9	मोहनपुरा सिंचाई परियोजना	राजगढ़	3866.34	125000	75 %	25 %	03/2020
10	बानसुजारा परियोजना	टीकमगढ़	1768.50	75000	67 %	10%	10/2019
11	कुंडालिया वृहद परियोजना	राजगढ़	3448.00	125000	25 %	0%	03/2020
12	भानपुरा नहर परियोजना	मंदसौर	183.70	9890	आवश्यक नहीं	60 %	03/2018
13	बारना विस्तारीकरण	रायसेन	581.00	10000	आवश्यक नहीं	55%	10/2018
14	तवा विस्तारीकरण	होशंगाबाद/हरदा	946.01	28413	आवश्यक नहीं	09%	06/2020
15	चंदेरी माईक्रो इरीगेशन	अशोकनगर	389.77	20000	निर्माण के विभिन्न चरणों में प्रक्रियाधीन		06/2020
16	रामनगर माइक्रो इरिगेशन	सतना	387.06	20000	निर्माण के विभिन्न चरणों में प्रक्रियाधीन		06/2020
17	नईगढ़ी माइक्रो इरिगेशन	रीवा	856.04	50000	निर्माण के विभिन्न चरणों में प्रक्रियाधीन		06/2020
18	बीना परियोजना	सागर/विदिशा	1514.57	60000	निर्माण के विभिन्न चरणों में प्रक्रियाधीन		06/2020

3.1.1.2 प्रस्तावित वृहद परियोजनाएं :

स.क्र.	परियोजना	जिला	अनुमानित लागत (रु.करोड़ में)	सैंच्य क्षेत्र
1	लोअर ओर	दतिया	2322.00	90,000
2	शामगढ़ सुवासरा	मंदसौर	920.61	40000
3	कोठा बैराज	विदिशा	700.0	20,000
4	कुकड़ेश्वर नीमच	नीमच	1024.91	40,000
5	कायमपुर सीतापुर	मंदसौर	1102.15	40000

3.1.1.3 चिन्हित वृहद परियोजनाएं :

स.क्र.	परियोजना	जिला	अनुमानित लागत (रु.करोड़ में)	सैंच्य क्षेत्र
1	गौंड परियोजना	सिंगरौली	927.99	34,500
2	रामपुरा मनासा सूक्ष्म सिंचाई परियोजना	मंदसौर	855.55	40000
3	नावथा परियोजना	बुरहानपुर	777.29	18,000

3.1.1.4 वृहद् परियोजनाओं का ई.आर.एम. :

(Extension/Renovation/Modernisation)

स.क्र.	परियोजना	प्रशासकीय (रु. करोड़)	विवरण
1	राजघाट	56.83	प्रगतिरत
2	अपर वैनगंगा	200.33	केन्द्रीय जल आयोग में परीक्षणाधीन
3	संजय सरोवर परियोजना	200.33	प्रकियाधीन
4	थांवर परियोजना	84.33	प्रकियाधीन

3.1.1.5 मध्यम परियोजनाओं का ई.आर.एम. (Extension/Renovation/Modernisation)

स.क्र.	परियोजना	अनुमानित लागत (रु. करोड़)	पूर्णता लक्ष्य
1	देजला देवड़ा	17.49	3/2017
2	चोरल (मुख्य एवं फीडर नहर)	6.89	3/2017
3	सरोज सरोवर (घोलाबड़)	5.72	3/2017
4	मटियारी जलाशय	38.42	3/2019
5	सर्राठी जलाशय	23.81	3/2018
6	चन्द्रकेशर जलाशय	15.63	केन्द्रीय जल आयोग से दिनांक 27.12.2016 को अनुमोदित

3.1.2 मध्यम परियोजनाएं:

विभाग में 37 मध्यम परियोजनाएं निर्माण के विभिन्न चरणों में है। इनके अतिरिक्त 26 चिन्हित मध्यम परियोजनाएं प्रक्रियाधीन हैं।

3.1.2.1 निमार्णाधीन 37 मध्यम परियोजनाओं का विवरण निम्नानुसार है :–

(राशि रु.करोड़ मे, क्षेत्र हेक्टर में)

स.क्रं	परियोजना	जिला	लागत	सैंच्य क्षेत्र	भौतिक प्रगति		पूर्णता लक्ष्य
					बॉध	नहर	
1	सिंहपुर बैराज	छतरपुर	260.63	9900	99 %	98 %	6/2017
2	बनेठा उद्वहन	सीहोर	37.933	4080	100%	98%	3/2017
3	घोघरा	सीहोर	145.36	7775	100%	95%	3/2017
4	सीप कोलार लिंक प्रोजेक्ट	सीहोर	92.61	6100	आवश्यक नही	65%	6/2017
5	खरसानिया	सीहोर	46.12	4915	आवश्यक नही	15%	3/2018
6	पारसडोह	बैतूल	382.29	9900	01%	0%	10/2019
7	बिलगांव	डिंडोरी	182.22	9980	98%	85%	6/2017
8	सौनपुर	सागर	127-46	7000	98%	48%	6/2017
9	सेमरी	रायसेन	110.91	5700	100%	100%	6/2017
10	कीटखेडी	आगर	67.47	3350	99%	87%	6/2017
11	पवई	पन्ना	261.54	9952	40%	49%	9/2017
12	दातूनी	देवास	235.54	9800	100%	74%	5/2017
13	मझगवां	पन्ना	358.99	12600	18%	0%	6/2017
14	श्यामरी	छतरपुर	114.76	1000	18%	0%	6/2018
15	सूरजपुरा	सागर	70.61	4325	86%	35%	6/2017
16	दीवानगंज	रायसेन	81.34	7000	आवश्यक नहीं	27%	6/2018
17	अपर तिलवारा	सिवनी	120.06	7950	आवश्यक नहीं	85%	6/2017
18	मुरकी जलाशय	डिंडोरी	165.49	5150	7%	20%	6/2018
1	तरपेड़	छतरपुर	82.74	4300	76%	4%	10/2017
20	खर्राघाट	दतिया	33.07	3500	आवश्यक नहीं	33%	10/2017
21	मालक उप नहर	हरदा	53.01	8100	आवश्यक नहीं	95%	6/2017
22	खिरकिया नहर	हरदा	18.13	2700	आवश्यक नहीं	76%	6/2017
23	बरखेड़ा	धार	308.56	9900	निविदा प्रक्रियाधीन	0%	6/2020
24	आसन बैराज	मुरैना	112.83	5500	0%	आवश्यक नही	3/2018
25	कछाल	शाजापुर	100.52	3500	100%	97%	6/2017
26	परकुल	सागर	114.96	3200	0%	1%	10/2018
27	महान विस्तार	सीधी	204.02	7425	आवश्यक नहीं	1 %	10/2018
28	बघराजी	जबलपुर	33.42	2600	निर्माण के विभिन्न चरणों में प्रक्रियाधीन		10/2019
29	हिरन	जबलपुर	225.99	8125	निर्माण के विभिन्न चरणों में प्रक्रियाधीन		10/2019
30	जूझी	दमोह	240.24	8500	निर्माण के विभिन्न चरणों में प्रक्रियाधीन		10/2019
31	कारम	धार	304.44	8750	निर्माण के विभिन्न चरणों में प्रक्रियाधीन		10/2019
32	भाम–राजगढ़	खण्डवा	288.11	6100	निर्माण के विभिन्न चरणों में प्रक्रियाधीन		10/2019
33	खरमेर	डिण्डौरी	348.10	9980	निर्माण के विभिन्न चरणों में प्रक्रियाधीन		10/2019
34	साजली	दमोह	366	9950	निर्माण के विभिन्न चरणों में प्रक्रियाधीन		10/2019
35	रुन्ज	पन्ना	269.79	12550	निर्माण के विभिन्न चरणों में प्रक्रियाधीन		3/2020
36	टेम	विदिशा	383.15	9990	निर्माण के विभिन्न चरणों में प्रक्रियाधीन		6/2021
37.	पतने परियोजना	पन्ना	259-57	9340	वनभूमि की स्वीकृति अपेक्षित		6/2021

3.1.2.2 चिन्हित मध्यम परियोजनाएं :–

स.क्र.	योजना का नाम	जिला	स.क्र.	योजना का नाम	जिला
1	कडान परियोजना	सागर	14	छीताखुदरी	जबलपुर
2	कैथ परियोजना	सागर	15	सीतानगर परियोजना	दमोह
3	जेरा परियोजना	सागर	16	गुरजई मोगली	सिवनी
4	पजनारी परियोजना	सागर	17	सतधारू परियोजना	दमोह
5	आपचंद परियोजना	सागर	18	मियार बॉध सिंचाई परियोजना	सिंगरौली
6	बेबस परियोजना	सागर	19	ऐर मध्यम परियोजना	शिवपुरी
7	मुंझरी परियोजना	श्योपुर	20	चैंटीखेडा परियोजना	श्योपुर
8	लांच नदी परियोजना	सागर	21	खिरई मध्यम परियोजना	शिवपुरी
9	करंजिया परियोजना	डिण्डोरी	22	आवलिया मध्यम परियोजना	खण्डवा
10	डिण्डोरी परियोजना	डिण्डोरी	23	सोनगिर मध्यम परियोजना	खण्डवा
11	मल्हारगढ़	गुना	24	कुण्डिया तालाब	खरगौन
12	वर्धा	बैतूल	25	भवसा मध्यम परियोजना	बुरहानपुर
13	गढ़ा	बैतूल	26	छोटी उतावली	बुरहानपुर

पेंच व्यपवर्तन परियोजना, जिला छिन्दवाड़ा

3.1.3 लघु सिंचाई परियोजनाएं :–

3.1.3.1 वर्तमान में प्रदेश में 407 लघु परियोजनाओं निर्माण के लिए स्वीकृत हैं। इनमें से जनवरी–2017 तक 61 लघु सिंचाई परियोजनाएं पूर्ण की गईं एवं शेष लघु सिंचाई परियोजनाएं निर्माण के विभिन्न चरणों में क्रियान्वित हैं, इनकी जिलेवार संख्या निम्नानुसार है :–

स.क्र	जिला	योजनाओं की संख्या	सैंच्य क्षेत्र (हेक्टर)	लागत रूपये लाख में
1	मुरैना	12	4830	7991.10
2	शिवपुरी	02	2720	6835.34
3	श्योपुर	03	905	885.88
4	भिण्ड	01	350	595.97
5	अशोक नगर	04	0	1590
6	भोपाल	2	2190	4685.74
7	गुना	4	1439	3570.21
8	रायसेन	12	3309	8953.18
9	सीहोर	02	440	702.66
11	विदिशा	9	11674	11650.22
13	बैतूल	12	5192	16875.52
14	अलीरा जपुर	13	3295	5363.84
15	बड़वानी	26	12435	26484.67
17	बुरहानपु र	10	4921	8330.23
18	देवास	11	4055	8232.83
19	धार	18	6491	13631.24
20	इंदौर	02	600	1109.88
21	झाबुआ	15	6131	10905.66
22	खण्डवा	01	672	2334.93
23	खरगौन	03	4227	6988.86
24	नीमच	04	765	1979.07
25	मंदसौर	11	5510	7012.17

स.क्र	जिला	योजनाओं की संख्या	सैंच्य क्षेत्र (हेक्टर)	लागत रूपये लाख में
26	रतलाम	17	4515	12740.65
27	शाजापुर	15	6236	10540.36
28	बालाघाट	05	1002	2025.36
29	छिंदवाड़ा	20	9747	2933.54
30	डिंडोरी	08	4067	7980.44
31	जबलपुर	04	2880	8337.08
32	मंडला	07	2822	10975.03
33	सिवनी	04	3254	7739.81
34	छतरपुर	03	920	1253.49
35	दमोह	20	7864	12399.74
36	सागर	13	9761	23818.52
37	टीकमगढ	07	6623	12455.39
38	अनुपपुर	09	4905	13733.6
39	रीवा	04	2415	4127.46
40	सतना	05	3327	5115.93
41	शहडोल	14	5716	27827.56
42	सिंगरौली	01	243	479.61
43	उमरिया	12	6393	13848.70
44	सीधी	01	410	1433.33
45	राजगढ़	29	9623	3932.90
46	पन्ना	27	21043	41746.10
47	उज्जैन	04	750	1434.62

3.2 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना

भारत सरकार, कृषि मंत्रालय द्वारा "प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना" लागू की गई है। ए.आई.बी.पी. एवं कमाण्ड क्षेत्र विकास कार्यक्रम को अब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का अंश बना दिया गया है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के घटक निम्नानुसार है:–

1. ए.आई.बी.पी।
2. हर खेत को पानी।
3. पर ड्रॉप मोर क्रॉप।
4. जलग्रहण क्षेत्र विकास।

3.3 कमाण्ड क्षेत्र विकास :–

भारत सरकार द्वारा स्वीकृत 23 परियोजनाओं के कमाण्ड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन कार्यक्रम क्रियान्वयन के तहत् 10.377 लाख हेक्टर कमाण्ड क्षेत्र के विरुद्ध मार्च–2016 तक 4.315 लाख हेक्टर में वाटर कोर्स/फील्ड चैनल निर्माण कार्य कराया जा चुका है। स्वीकृत 23 परियोजनाओं में से वैनगंगा, बाघ एवं कुंवरचैन सागर परियोजनाएं पूर्ण की जा चुकी हैं। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में प्रदेश की सिंचाई परियोजनाओं के 0.71 लाख हेक्टर कमाण्ड क्षेत्र में सिंचाई नालियों का निर्माण किया गया, जबकि बारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत वर्ष 2012–13 से वर्ष 2015–16 तक 3. 605 लाख हेक्टर कमाण्ड क्षेत्र में सिंचाई नालियों का निर्माण किया जा चुका है।

परियोजनाओं के कमांड में फील्ड चैनल के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2016–17 में परियोजनावार लक्ष्य एवं उपलब्धियॉ निम्नानुसार है :–

(राशि लाख में क्षेत्र हे.में)

स.क्र.	परियोजना	सी.सी.ए. (हेक्टर)	लागत	लक्ष्य (हेक्टर)	उपलब्धि 12/2016 तक	वर्ष 2016–17 हेतु प्राप्त केन्द्रांश
1.	कोलार	45087	8400.00	4500	3394	0.00
2.	वैनगंगा	112900	16729.34	0	पूर्ण	–
3.	रानी अवंतीबाई लोधी सागर	157000	31162.40	5500	6827	–
4.	राजघाट नहर	164789	38936.28	22000	21956	–
5.	बरियारपुर	38990	8541.60	6000	4990	713.95
6.	कुवंरचैन सागर	3700	314.07	–	पूर्ण	–
7.	हरसी	62675	15894.77	2000	599	–
8.	बाघ	16600	2889.15	–	पूर्ण	–
9.	बाण सागर	154687	59146.30	17000	18264	2234.88
10.	सिंध परियोजना (फेस–।।)	98250	39408.83	30000	24950	1719.00
11.	रैहटी मध्यम परियोजना	2194	825.68	1500	639	–
12.	सिंहपुर परियोजना	6000	2255.00	2500	1888	205.00
13.	महान वृहद परियोजना	16150	6056.33	3000	1932	219.35
14.	बघरुं मध्यम परियोजना	2250	846.51	081	1597	–
15.	कछाल मध्यम परियोजना	3470	1304.87	2500	1553	–
16.	संजय सागर (बाह)	9893	3705.64	3000	798	–
17.	महुअर मध्यम परियोजना	9500	3567.2	4500	4352	92 .8
18.	सगड़ मध्यम परियोजना	9478	3551.22	3000	816	–
19.	पेंच डायवर्सन परियोजना	70918	26568.03	4500	3034	535.13
20.	बिलगांव मध्यम परियोजना	9262	3470.34	2000	1597	–
21.	थांवर वृहद परियोजना	11105	4759.66	4500	4691	–
22.	माही परियोजना	28127	12873.30	4000	1060	234.00
23.	गुरमा मध्यम परियोजना	4714	1684.70	2500	1128	–
योग :–		**1037739**	**293131.91**	**126300**	**106065**	**6153.11**

3.4 विश्व बैंक पोषित राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना उद्देश्य :–

जल विज्ञान परियोजना का प्रमुख उद्देश्य एक व्यापक, विश्वसनीय आसानी से सुलभ उपयोगकर्ताओं के अनुकूल सतत एवं प्रवाह जल विज्ञान सूचना प्रणाली तंत्र विकसित करना है। जल विज्ञान सूचना प्रणाली तंत्र के विकास में भौतिक संरचना और मानव संसाधनों के द्वारा जल संसाधन के आंकड़ों को एकत्रित करना, संग्रहित करना तथा उनका विश्लेषण कर जानकारी का प्रसार करना सम्मिलित है।

3.4.1 जल विज्ञान परियोजना प्रथम चरण :

जल विज्ञान परियोजना प्रथम चरण कार्य क्षेत्र वैनगंगा, माही, एवं ताप्ती कछार के क्षेत्र में था। इसकी अवधि वर्ष 1995 से दिसम्बर 2003 तक थी। इसके अन्तर्गत वर्षामापी स्थल, गेज डिस्चार्ज स्थल, पूर्ण मौसम केन्द्र, सेडिमेंन्ट्री सर्वे मापन कार्य, सिल्ट प्रयोगशाला एवं जल गुणवत्ता प्रयोगशालायें नवीन तकनीक के अनुसार स्थापित कर उन्नत करने का कार्य एवं स्थापित उपकरणों से प्राप्त आंकड़ों का प्रमाणीकरण एवं विश्लेषण का कार्य किया गया।

3.4.2 जल विज्ञान परियोजना द्वितीय चरण :

जल विज्ञान परियोजना द्वितीय चरण का कार्य अप्रैल 2006 में प्रारंभ किया गया। योजना को पूर्ण करने का लक्ष्य मई 2014 निर्धारित किया गया था। योजना की कुल लागत रू. 14.90 करोड़ थी। योजना पूर्ण की जा चुकी है। परियोजना में मुख्यतः वास्तविक समय में जल संसाधनों का विकास तथा जलाशयों के संचालन के प्रबंधन में सुधार तथा विकास का कार्य किया गया।

3.4.3 राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना (तृतीय चरण) :

भारत सरकार द्वारा भारत जल संसाधन प्रबंधन कार्यक्रम के अन्तर्गत विश्व बैंक की सहायता से राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना (तृतीय चरण) सम्पूर्ण भारत वर्ष के लिए कुल लागत रू. 3679.77 करोड़ के क्रियान्वयन हेतु सहमति दी है। जिसमें मध्यप्रदेश राज्य हेतु 90.00 करोड़ की राशि अनुदान के रूप में प्राप्त होगी। परियोजना का कार्यकाल वर्ष 2016–24 तक आठ वर्षों की अवधि का होगा।

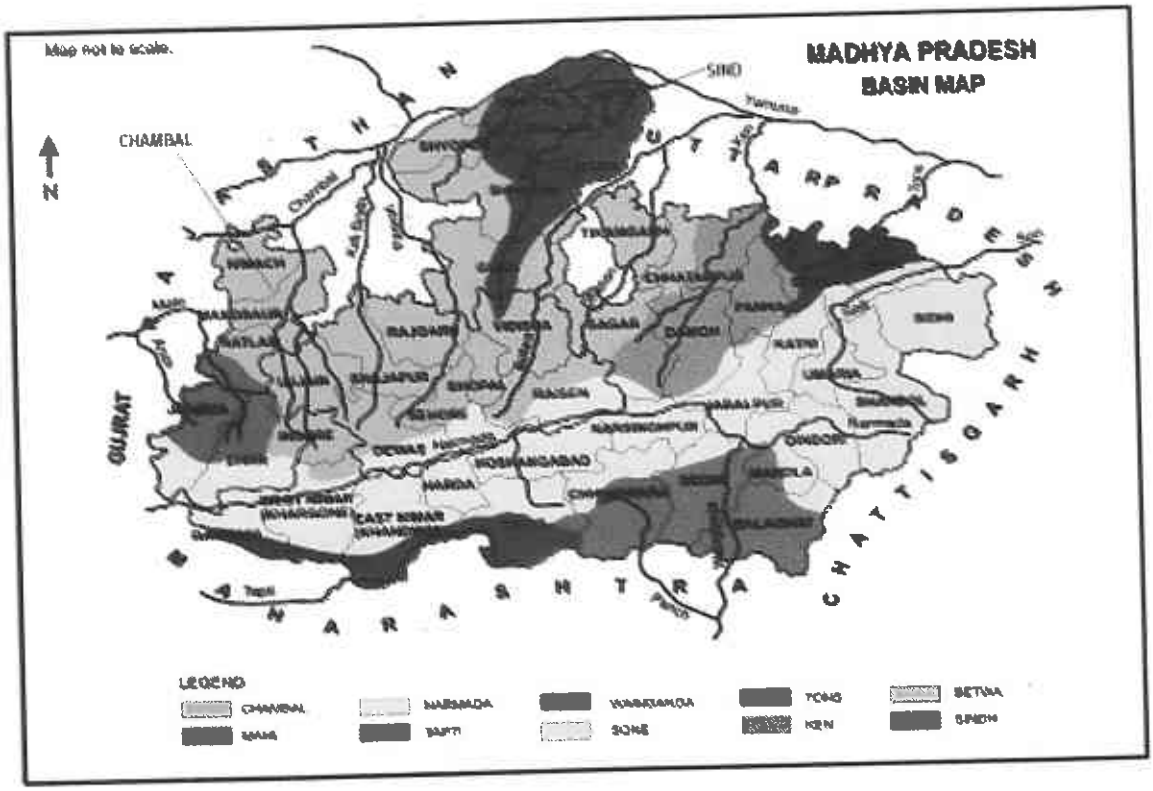

राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना में मध्यप्रदेश के गंगा कछार (टोन्स एवं सोन उपकछार) चंबल कछार (बेतवा, सिंध, केन धसान, एवं चंबल उप कछार) तथा नर्मदा कछार के आंशिक जल ग्रहण क्षेत्र के कार्यों को शामिल किया गया है। परियोजना अंर्तगत स्वीकृत राशि का विवरण निम्नानुसार है :–

Component	Description of Project Component	Grant Share in Rs. Crores		
		World Bank	MOWR GoI	Total
A	Water Resources Data Acquisition System (जल संसाधंन डाटा अधिग्रहण प्रणाली)	27.00	27.00	54.00
B	Water Resources Information System (WRIS) (जल संसाधन सूचना प्रणाली)	2.25	2.25	4.50
C	Water Resources Operation and Planning System (जल संसाधन संचालन एंव योजना प्रणाली)	6.25	6.25	13.50
D	Institutional Capacity Enhancement (संस्थागत क्षमता संवर्धन / विकास)	9.00	9.00	18.00
	TOTAL	45.00	45.00	90.00

उपकछारों में जल बहाव, वर्षा, भूजल आदि के वास्तविक समय के ऑकडों का एकत्रीकरण (RTDAS) कार्य आधुनिक तकनीक से किए जाएंगे, जिसका उपयोग प्रदेश की सिंचाई परियोजनाओं के रूपांकन के युक्तियुक्तकरण करने में सहायक होगा। उपलब्ध आकड़ों का

उपयोग भविष्य में जल विज्ञान अनुसंधान हेतु विभाग के साथ–साथ अन्य संस्थाओं द्वारा भी किया जा सकेगा। साथ ही संपूर्ण मध्य प्रदेश में जल संबंधित समस्याओं के निराकरण हेतु नीतिगत निर्णय शीघ्रता से लिए जा सकेंगे।

3.5 नाबार्ड ऋण सहायता प्राप्त परियोजनाएं :–

नाबार्ड ऋण सहायता अंतर्गत निर्माणाधीन एवं स्वीकृत योजनाओं का विवरण निम्नानुसार है :–

स.क्र	योजना का नाम	जिला	चरण	लागत (रू लाख में)	सिंचाई क्षमता (हेक्टर में)	नाबार्ड स्वीकृत राशि रू लाख में)	कुल व्यय (रू लाख में)
1	सीप कोलार लिंक परि	सीहोर	XVII	14088.13	7540.00	7659.87	70158.73
2	कीटखेडी	शाजापुर	XVIII	6647.00	3480.00	6045.28	5758.46
3	सोनपुर	सागर	XVIII	12746.45	7000.00	11309.00	6614.04
4	बारना बांयी तट नहर	रायसेन	XIX	58100.00	10000.00	41504.15	23512.42
5	अपर तिलवारा	सिवनी	XIX	12002.00	7950.00	9061.58	8402.59
6	मोहनपुरा वृहद परियोजना	राजगढ़	XXI	124075.70	65000.00	44151.74	32400.45
	योग			227659.28	100970.00	102377.34	141298.69

3.6 विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित परियोजना डेम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट (DRIP) वर्ष 2016–17

राज्य में सिंचाई, जलप्रदाय, विद्युत उत्पादन तथा अन्य लाभों के लिए जल संसाधनों के भंडारण हेतु बांधों का निर्माण किया गया है। मापदंडानुसार म.प्र. में 906 बांध, बड़े बांधों की श्रेणी में आते हैं। इन बांधों के सुदृढ़ीकरण, सुरक्षा एवं कार्य क्षमता में सुधार सुनिश्चित करने हेतु राज्य बांध सुरक्षा संगठन सामयिक निरीक्षण कर आवश्यक सुधारात्मक उपाय सुझाता है। केन्द्रीय जल आयोग ने विश्वबैंक के सहयोग से देश के अन्य राज्यों के साथ मध्यप्रदेश के 50 बांधों में जीर्णोद्धार हेतु डेम **रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट (ड्रिप) परियोजना** प्रारंभ की गई है। प्रस्तावित कार्यों के पूर्ण होने के उपरान्त बांधों में निर्धारित क्षमता तक भराव होगा एवं बांधों की सुरक्षा दीर्घावधि के लिए सुनिश्चित होगी।

ड्रिप में वर्तमान तक 25 बांधों का चयन अंतिम रूप से किया गया है। वर्तमान में परियोजना की लागत रू. 168.80 करोड़ सीमित हो गई है। सभी 25 बॉधों की हाइड्रोलॉजी, केन्द्रीय जल आयोग एवं बोधी द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है। वर्तमान में 22 बांधों के सुधार कार्य प्रगति पर हैं। शेष बांधों के कार्यों की निविदा आमंत्रण की कार्यवाही की जा रही है। ड्रिप अन्तर्गत मार्च 2016 तक रू. 73.67 करोड़ तथा वर्ष 2016–17 में दिसम्बर 2016 तक रू. 22.10 करोड़ व्यय किये गये हैं। परियोजना का फंडिंग पैटर्न 80:20 (विश्व बैंक : राज्य) है।

3.7 बुन्देलखण्ड क्षेत्र विशेष पैकेज

बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रदेश के सागर, दमोह, छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़ एवं दतिया जिले हैं। इस क्षेत्र के विकास के लिये भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2010 में राशि रु. 1118 करोड़ का प्रथम चरण एवं वर्ष 2014 में राशि रु. 700 करोड़ का द्वितीय चरण में विशेष पैकेज स्वीकृत किया गया है। प्रथम चरण में राशि रु. 993.69 करोड़ एवं द्वितीय चरण में राशि रु. 183.67 करोड़ निवेश की जा चुकी है।

प्रथम चरण :–

स. क्र.	घटक	स्वीकृत राशि रु. करोड़	संख्या	सैंच्य क्षेत्र (हेक्टर)	2016 में रबी सिंचाई (हेक्टर में)	प्रगति
1	बरियारपुर परियोजना का निर्माण	176	0	43850	40000	कुटनी बाँध पूर्ण । नहर 99 प्रतिशत।
2	सिंहपुर बैराज का निर्माण	01	0	099	9035	शीर्ष कार्य 99 प्रतिशत। नहर कार्य 98 प्रतिशत।
3	निर्माणाधीन लघु सिंचाई परियोजनायें	125	49	18236	18236	49 परियोजनाएं पूर्ण।
4	नवीन लघु सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण	467	97	33733	28518	93 परियोजनाएं पूर्ण। 4 प्रगतिरत।
5	उर्मिल एवं रनगवां परियोजनाओं की नहरों की क्षमता का पुर्नस्थापन	63.55	0	14170	14700	पूर्ण।
6	राजघाट नहर कमाण्ड	01 0	0	100227	147053	प्रगतिरत

द्वितीय चरण :–

स.क्र.	घटक	स्वीकृत राशि रू. करोड	संख्या	सैंच्य क्षेत्र (हेक्टर)	प्रगति
1	पंचमनगर मध्यम परियोजना	184.17	01	12600	निर्माणाधीन
2	सोनपुर मध्यम परियोजना	89.22	01	7000	निर्माणाधीन
3	पवई मध्यम परियोजना	183.08	01	9952	निर्माणाधीन
4	लघु सिंचाई परियोजनायें	203.53	21	11081	7 परियोजनाएं पूर्ण

बानसुजारा परियोजना, जिला टीकमगढ़ की निर्माणाधीन नहर

अध्याय – चार
सिंचाई एवं राजस्व : लक्ष्य एवं उपलब्धियां

4.1 सिंचाई

वर्ष 2016–17 में जनवरी 2017 तक 26.38 लाख हेक्टर क्षेत्र में रबी सिंचाई की गई जबकि विगत वर्ष 2015–16 में 24.50 लाख हेक्टर क्षेत्र में रबी सिंचाई की गई थी। रबी सिंचाई के लिए वर्षाकाल पूर्व से ही योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया गया। सिंचाई परियोजनाओं में कमजोर हिस्सों को मैदानी अधिकारियों की बैठक लेकर चिन्हित किया गया और इन हिस्सों में किए जाने वाले कार्यों का आंकलन किया गया। जो कार्य ठेके से हो सकते थे उन्हें ठेके से तथा जो ठेके से कम समय में संभव नहीं थे, उन्हें विभागीय तौर पर कराया गया। इसमें विभागीय विद्युत यांत्रिकी अमले को भी शामिल किया गया। इस कार्य में उपलब्ध विभागीय मशीनों का उपयोग कर नहरों की सफाई, सिल्ट निकालने, बैडग्रेड बनाने, अधूरी नहरों को पूर्ण करने एवं नहरों से अवरोध हटाने का कार्य किया गया। इस कार्य को अधिक गति देने एवं वर्षा पूर्व पूर्ण करने के लिए आवश्यकतानुसार किराए पर भारी मशीनें लगाई गईं। जिन तालाबों में स्लूस गेट से लीकेज होता था अथवा अन्य कारणों से लीकेज से जल अपव्यय होता था, उन्हें चिन्हित कर ठीक किया गया। अधिकांश तैयारियां वर्षा आने के पूर्व कर ली गई।

वर्षा काल में सभी जलाशयों में जल का नियमन इस प्रकार किया गया कि भण्डारण अधिकतम रहे। इसके लिए बड़े/मध्यम जलाशयों में जल स्तर की सतत् मॉनिटरिंग 'एस.एम. एस. बेस्ड रिजरवायर लेवल मानिटरिंग सिस्टम' के उपयोग से की गई। प्रतिदिन वर्षा जल भराव बिना किसी खतरे के अधिकतम हो सके इसके लिए जलद्वारों को समय समय पर खोलकर जल बहाव को नियंत्रित किया गया।

25 सितम्बर की स्थिति में राज्य के सभी जलाशयों में जल भराव की मात्रा को कम्प्यूटर पर ऑनलाईन दर्ज करने की व्यवस्था कर अमल में लाया गया। उपलब्ध जल के आधार पर हर परियोजना का रबी सिंचाई लक्ष्य मैदानी अधिकारियों द्वारा निर्धारित किया गया। विभाग की वेबसाइट पर 'इरिगेशन मानिटरिंग सिस्टम' में इन लक्ष्यों को दर्ज किया गया तथा की गई सिंचाई के आंकड़ों की इस सिस्टम में पाक्षिक प्रविष्टी की व्यवस्था बनाई गई। वीडियो कान्फ्रेस तथा वरिष्ठ अधिकारियों के दौरों से पूरे रबी सत्र में सिंचाई की सतत् मानिटरिंग की गई।

उपरोक्तानुसार रणनीति में विभाग के सभी स्तर के अधिकारियों/कर्मचारियों ने एक टीम बनकर कार्य किया, जिसके परिणामस्वरूप जनवरी 2017 तक खरीफ 2.51 लाख हेक्टर तथा 26.38 लाख हेक्टर क्षेत्र में रबी सिंचाई की जा सकी। इस वर्ष गत वर्ष से अधिक सिंचाई की गई। यह उपलब्धि सतत् अनुश्रवण, कुशल जल प्रबन्धन के कारण संभव हो सकी।

वर्षवार/कछारवार सिंचाई

(सिंचाई हेक्टेयर में)

स क्र	मुख्य अभियंता	वर्ष 2011-12	वर्ष 2012-13	वर्ष 2013-14	वर्ष 2014-15	वर्ष 2015-16	वर्ष 2016 -17 जनवरी 2017 तक
1	चम्बल बेतवा कछार	167502	234153	285868	311853	347516	348794
2	धसान केन कछार	121434	178525	213723	205150	135401	239281
3	गंगा कछार	124599	179935	212123	235308	213023	227297
4	नर्मदा ताप्ती कछार	200707	253330	361152	355646	419268	418677
5	होशंगाबाद	340239	379350	400128	409440	421207	425416
6	राजघाट नहर परियोजना	203217	238816	247020	261265	268867	269032
7	वैनगंगा कछार	122407	156640	185416	175286	163012	223306
8	यमुना कछार	354786	399912	424926	438084	476392	486080
	रबी सिंचाई योग	1634891	2020661	2330356	2392032	2444686	2637883
	खरीफ सिंचाई	N.A.	N.A.	216006	216966	305716	251122
	योग			2546362	2608998	2750402	2889005

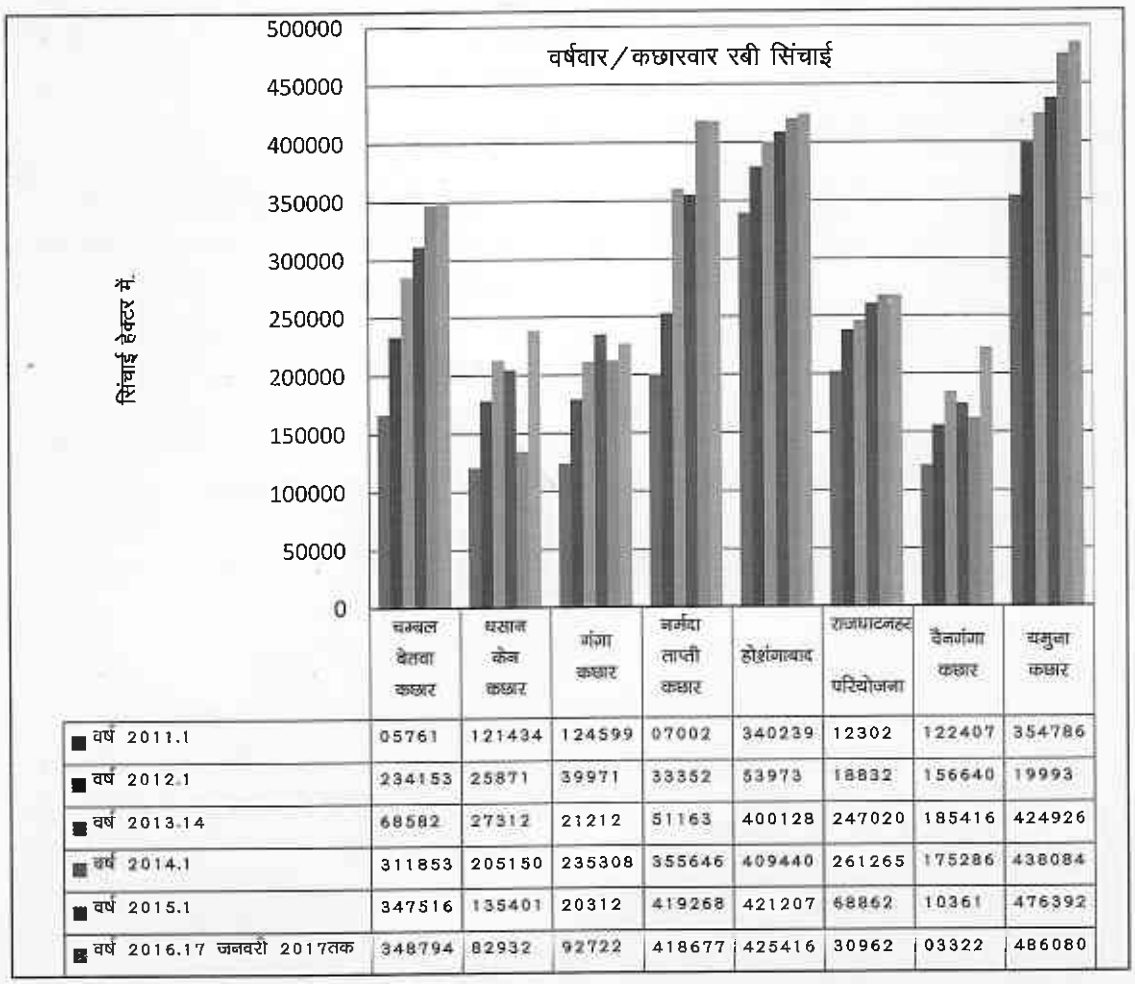

4.2 राजस्व

राज्य की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है जिसमें सिंचाई का विशेष महत्व है। इस हेतु राज्य में वृहद, मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण किया गया है। प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिए सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण वर्तमान में भी वृहद स्तर पर किया जा रहा है। इन बॉधों व्दारा संग्रहित जल का उपयोग सिंचाई, पेयजल, विद्युत उत्पादन एवं औद्योगिक क्षेत्रों हेतु किया जाता है। मध्यप्रदेश सिंचाई अधिनियम, 1931 की धारा 26 ''ए' के अंतर्गत जल पर शासन का अधिकार है। 13 वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार जल दरों का निर्धारण इस प्रकार किया जाना चाहिए जिससे परियोजनाओं की रख–रखाव की पूर्ण राशि जल कर से प्राप्त हो सके एवं यह भी ध्यान रखा जावें कि इस प्रक्रिया से कृषकों पर अत्यधिक वित्तीय भार न पड़े। वर्तमान में कृषि उत्पादन के लिए प्रदाय किये जाने वाले जल की राजस्व दरें, बांध एवं नहरों के निर्माण एवं रखरखाव लागत की तुलना में अत्यन्त ही कम रखी गई हैं। कृषक यदि किसी अन्य स्रोत से जल प्राप्त करते है तो उन्हें विभाग के द्वारा निर्धारित राजस्व राशि से कम से कम 8 गुना से अधिक राशि देना होगी। पिछले वर्षों में सिंचाई परियोजनाओं की निर्माण लागत में अत्यधिक वृध्दि हुई है, लेकिन कृषि के लिए प्रदाय किये जाने वाले पानी की दरों में वर्ष दिसंबर, 2005 से कोई वृध्दि नहीं की गई है। पेयजल दर में भी वर्ष 2000 से कोई वृद्धि नहीं की गई है । यह इस बात का द्योतक है कि शासन द्वारा कृषि एवं पेयजल के लिए दिये जा रहे पानी हेतु लिया लाने वाला जल शुल्क न्यूनतम है एवं प्रतीकात्मक ही है।

4.2.1 मध्यप्रदेश में सिंचाई संकर्मो से कृषि प्रयोजनों के लिये जल प्रदाय हेतु जल दर की अनुसूची (प्रवाह एवं उद्वहन सिंचाई)

क्रमांक	फसलों का नाम	जल कर रू. (प्रति हेक्टर में)
1	धान–खरीफ (प्रत्येक बार पानी)	85
2	हरी घास वाली फसलें– मूंगफली (खरीफ), ज्वार, मूंग (खरीफ), सोयाबीन (खरीफ), तिल, तुअर, उड़द	50
3	कपास (प्रत्येक बार पानी)	70
4	धान–रबी (प्रत्येक बार पानी)	155
5	गेंहू 1. पलेवा 2. प्रत्येक बार अतिरिक्त पानी पर	 125 75
6	चना (प्रत्येक बार पानी)	75
7	धनिया,मूंगफली, (रबी), मूंग (रबी) सरसों, कुसुम, सूरजमुखी, सोयाबीन. (रबी) तुअर, (रबी) (प्रत्येक बार पानी)	75
8	जौ, बैगन, गाजर, गोभी, मिर्च, ककड़ी, घुंइया, मेथी, अदरक, लहसुन, ग्वारफली, भिण्डी, शहतूत, मटर, खसखस, कद्दू, आलू, मूली, पालक, तम्बाकू, टमाटर, हल्दी, तरबूज, हरी सब्जियां	630
9	बरसीम घांस (फोडर क्राप)	480
10	केले, पान, उद्यान फसलें, रबर के पौधे, गन्ना	960
11	जमीन तैयार करने के लिए जल (पलेवा) अ– खरीफ ब– रबी	 125 125
12	ऊपर वर्णित फसलों के अतिरिक्त अन्य फसलों की सुरक्षा के लिए प्रदाय किये गये प्रत्येक बार पानी	50

4.2.2 पेयजल के लिए जल दर :

शासन ने पत्र क्रं. 29/31/99/म/31/83 दिनांक 14 जनवरी 2000 द्वारा अधिसूचना जारी कर निगम और नगरों के जल आपूर्ति की दरों को अतिष्ठित करते हुए नगरीय निकायों एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा घरेलू उपयोग के लिए विभाग द्वारा निर्मित जल स्त्रोतों से जल प्रदाय की दर 20 पैसे प्रति हजार लीटर (प्रति घन मीटर) निर्धारित की है। उक्त दर 1/4/2000 से प्रभावशील है एवं इसमें प्रति वर्ष 2 पैसे (दो पैसे) की वृद्वि होगी।

4.2.3 औद्योगिक प्रयोजन के लिए जल दरः

शासन के आदेश क्रमांक 18/1/91/मध्यम/31/797 दिनांक 30.11.2010 द्वारा दिनांक 01.01.2010 से 01.01.2013 तक अन्य विभिन्न प्रयोजनों के लिए जल दरों का निर्धारण किया गया जिसके अनुसार 01.01.13 से दरें निम्नानुसार हैः–

क्र.	जल स्त्रोत	जल कर रू. (प्रति हेक्टर में)
अ	**शासकीय स्त्रोतों से** (यथा जलाशय, नहर, नलकूप आदि)	5.50 रु प्रति घनमीटर
ब.	नैसर्गिक स्त्रोत यथा नदी, झील या अन्य प्राकृतिक संग्रह स्त्रोत से या उद्योग द्वारा स्वनिर्मित बांध के जलाशय से –	
	1. स्वयं के व्यय से बांध आदि स्ट्रक्चर्स का निर्माण कर जल भण्डार किया/कराया जाने की दशा में ।	1.55 रू. प्रति घनमीटर
	2. नैसर्गिक जल स्त्रोत से सीधे जल लिये जाने की दशा में	1.55 रू. प्रति घनमीटर
	शासकीय जल भण्डारण परियोजनाओं यथा बांध, नहर,बैराज आदि से **जल विद्युत परियोजनाओं** की जेनेरिटिंग इकाईयों को प्रदाय किए जाने वाला जल से, जल के उपयोग के पश्चात जल की पुनर्प्राप्ति उदाहरणार्थ जल विद्युत परियोजना।	20 पैसे प्रति विद्युत इकाई (किलोवाट घंटा) दर दिनाक 1.1.10 से इसके उपरांत प्रत्येक वर्ष की 1 जनवरी से 02 पैसा प्रति वर्ष की वृद्धि।
	नैसर्गिक/स्वनिर्मित स्त्रोत से जल के उपयोग के पश्चात् जल की पुर्नर्प्राप्ति उदाहरणार्थ जल विद्युत् परियोजना ।	05 पैसे प्रति विद्युत इकाई (प्रति किलोवाट/घंटा उत्पादन दिनांक 1.10.2010 से एवं प्रति विद्युत इकाई (प्रति किलोवाट घंटा) 1.0 पैसा प्रति वर्ष की वृद्वि।

4.3 प्रयोजनवार जल राजस्व वसूली की स्थिति

(राशि रूपये करोड़ में)

स. क्र.	वर्ष	कृषि सिंचाई		पेयजल		उद्योग		म.प्र.रा.वि.मंडल		अन्य		कुल योग	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2011–12	48.67	20.11	12.90	16.66	141.18	145.82	20.60	40.68	6.65	7.94	230.00	231.21
2	2012–13	67.20	30.48	21.50	2.65	240.20	242.13	62.00	9.34	9.10	33.61	400.00	318.21
3	2013–14	59.75	25.26	21.46	2.76	235.50	147.01	24.19	53.03	9.10	14.23	350.00	242.30
4	2014–15	61.00	22.74	18.40	0.94	234.00	132.50	26.40	19.50	10.20	21.70	350.00	197.37
5	2015–16	74.33	24.63	36.02	2.73	296.12	167.64	42.61	50.19	50.92	25.64	500.00	290.83
6	2016–17 दिसंबर तक	175.74	15.75	12.56	1.88	225.98	124.58	64.03	99.52	21.69	8.89	500.00	250.63

अध्याय – पाँच

विभाग की महत्वपूर्ण संरचनाएं

5.1 बाँध सुरक्षा संगठन–

बाँध सुरक्षा संगठन का मुख्य कार्य सुरक्षा की दृष्टि से बाँधों का निरीक्षण कर बाँधों की वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन करना एवं तदनुसार बाँधों को सुधारने के लिये तकनीकी सुझाव देना है। बाँधों के सुधार की प्राथमिकता निर्धारण करने के लिये एक राज्य स्तरीय बाँध सुरक्षा समिति का गठन किया गया है। इस समिति के अध्यक्ष, सचिव, जल संसाधन विभाग, मध्यप्रदेश एवं संबंधित कछारीय परियोजना के मुख्य अभियंता, सदस्य तथा संचालक, बाँध सुरक्षा उसके सचिव नियुक्त किए गए हैं।

5.1.1 बाँध सुरक्षा संगठन के मुख्य कार्यः–

- बाँध सुरक्षा के संबंध में राज्य द्वारा प्रसारित कार्यकारी आदेशों पर अनुवर्ती कार्यवाही।
- राज्य स्तर बाँधों की डाटा बुक तैयार करना तथा तकनीकी दस्तावेज के लिये डाटा बैंक के रूप में कार्य करना।
- वर्षा पूर्व एवं वर्षा उपरांत बाँधों के निरीक्षण प्रतिवेदनों की परिवीक्षा करना तथा इनके आधार पर बाँधों की स्थिति के संबध में प्रतिवेदन तैयार करना।
- समस्त बड़े बाँधों का प्रथम चरण निरीक्षण 5 वर्षों के अन्तराल में किया जाकर इस संबंध में अनुवर्ती कार्यवाही के लिये अनुशंसा करना।
- बड़े बाँधों जिनकी ऊंचाई 15 मी. से अधिक या जल क्षमता 60 मि.घन मी. या अधिक है, का स्वतंत्र तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा निरीक्षण किया जाना।
- निर्माणाधीन समस्त बड़े बाँधों के रूपांकन, पुनर्विलोकन एवं गुणवत्ता को सुनिश्चित करना। संपूर्ण बड़े बाँधों के पूर्णता प्रतिवेदन जिसमें रूपांकन, निर्माण तथा रूपांकन से संबंधित आंकड़ों का समावेश हो, की परिवीक्षा करना ।
- बड़े बाँधों में लगाये गये उपकरणों के आंकड़ों का संकलन एवं विश्लेषण करना।
- बांध सुरक्षा समिति द्वारा प्राथमिकता अनुसार बांधों के द्वितीय चरण सुरक्षा के लिए व्यवस्था करना।
- बांध में बड़ी आपदा की स्थिति में परियोजना अधिकारियों को सहयोग करना, विशेषज्ञों का पैनल करने के लिए कार्यवाही करना तथा उक्त पैनल के सुझावों को समन्वित करना। पैनल द्वारा सुझाये गये एवं सर्वेक्षण कार्य में समन्वय करना तथा पैनल को प्रतिवेदन तैयार करने में सहयोग देना।

- राज्य के समस्त बड़े बाँधों की स्थिति को केन्द्रीय जल आयोग के बाँध सुरक्षा संगठन को प्रस्तुत करने के लिये वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करना।
- आपातकालीन योजना की तैयारी करना तथा इस संबंध में पथ प्रदर्शन करना।
- बाँध सुरक्षा संचालनालय तथा राज्य के लिये बांध सुरक्षा से संबंधित सुरक्षा निगरानी की प्रक्रिया, निरीक्षण, गुणवत्ता, नियंत्रण, रख–रखाव, संचालन तथा आपात कालीन कार्य योजना तैयार करने आदि विषयों पर प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

5.2 संचालक, पी.आई.एम.

5.2.1 मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी

देश में मध्यप्रदेश, आंध्रप्रदेश के बाद दूसरा राज्य है जहां सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 1999 लागू किया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत कृषक संगठनों को कार्य करने हेतु स्वतंत्र एवं वैधानिक रुप से अधिकृत किया गया है।
मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी (संशोधन) अधिनियम, 2013 के प्रावधान लागू होने के पश्चात् प्रथम बार माह मई 2015 में 79 जल उपभोक्ता संथाओं एवं माह मार्च 2016 में 180 जल उपभोक्ता संथाओं तत्पश्चात् माह नवम्बर 2016 में 1765 जल उपभोक्ता संथाओं की प्रबंध समिति के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य एवं अध्यक्षों के लिए निर्वाचन कराए गए हैं।

वर्तमान में कुल 2024 जल उपभोक्ता संथाओं के माध्यम से 24.38 लाख हेक्टर कमांड क्षेत्र के सिंचाई प्रबंधन का कार्य सहभागिता से किया जा रहा है।
मई 2015 एवं मार्च 2016 में निर्वाचित 259 जल उपभोक्ता संथाओं के अध्यक्षों एवं सक्षम प्राधिकारियों को वाल्मी भोपाल के माध्यम से सहभागिता सिंचाई प्रबंधन के संबंध में प्रशिक्षण प्रदाय किया जा चुका है। नवम्बर 2016 में निर्वाचित 1765 जल उपभोक्ता संथाओं के अध्यक्ष एवं सक्षम प्राधिकारियों का माह फरवरी 2017 से प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है। विभिन्न परियोजनावार गठित जल उपभोक्ता संथाओं की संख्या एवं कमाण्ड क्षेत्र की जानकारी निम्नानुसार है :–

क्र.	योजना का प्रकार	जल उपभोक्ता संथाओं की संख्या	कमांड क्षेत्र (लाख हेक्ट.)
1	वृहद परियोजनाएं	719	13.97
2	मध्यम परियोजनाएं	203	3.25
3	लघु परियोजनाएं	011	7.16
	योग	**2024**	**24.38**

5.3 सिंचाई अनुसंधान संचालनालय, भोपाल :–

विभाग के अधीन सिंचाई अनुसंधान संचालनालय का गठन वर्ष 1964 में किया गया। इसके अंतर्गत भोपाल (हथाईखेड़ा) में एक प्रदेश स्तर की मिट्टी एवं धातु प्रयोगशाला की स्थापना वर्ष 1970 में की गई। तदोपरान्त वर्ष 1985 में यू.एस.एड. कार्यक्रम के अंतर्गत दो अस्थायी मिट्टी एवं धातु परीक्षण प्रयोगशालायें भोपाल एवं जबलपुर में प्रारम्भ की गयी।

प्रयोगशाला में प्रस्तावित/निर्माणाधीन तथा निर्मित परियोजनाओं की निर्माण संबंधी विभिन्न समस्याओं का अनुसंधान के माध्यम से समुचित निदान किया जाता है। संचालनालय के अधीन परियोजना के निर्माण में उपयोगी मिट्टी एवं गिट्टी परीक्षण हेतु भोपाल एवं जबलपुर में प्रयोगशालायें कार्यरत हैं। वर्तमान में संचालनालय मुख्य अभियंता, बोधी भोपाल के अधीन कार्यरत है। संचालनालय सिंचाई अनुसंधान के अधीन म.प्र. के अंतर्गत निम्नानुसार तीन प्रयोगशालायें कार्यरत हैं :–

1. जल विज्ञान प्रयोगशाला, भोपाल
2. मिट्टी, गिट्टी एवं रसायन परीक्षण प्रयोगशाला, भोपाल
3. मिट्टी, गिट्टी एवं रसायन परीक्षण प्रयोगशाला, जबलपुर

I. संचालनालय के अंतर्गत प्रयोगशालाओं मे निम्नानुसार विभिन्न कार्यो पर सतत् अनुसंधान जारी है।

उद्देश्य :–

(1) जल विज्ञान प्रयोगशाला, भोपाल :–

1) प्रस्तावित बांधों के स्केल मॉडल बनाकर प्रस्तुत डिजाइन की हाइड्रोलिक परफारमेंस के आधार पर परीक्षण कर समुचित सुझाव देना ।
2) प्रस्तावित एनर्जी डिसीपेंशन अरेंजमेंट की क्षमता का परीक्षण करना ।
3) निर्माणाधीन परियोजना का स्टेज कन्स्ट्रक्शन का अध्ययन कर समुचित सुझाव देना
4) परियोजना के गेट आपरेशन अध्ययन पर समुचित प्रणाली का विकास करना।
5) परियोजना में उत्पन्न आकस्मिक समस्याओं का मॉडल अध्ययन कर उचित निदान प्रस्तुत करना।
6) बाढ़ नियंत्रण के अंतर्गत नदी के किनारों के कटाव को रोकने के लिये मॉडल अध्ययन कर समुचित सुझाव देना।
7) वर्ष 2016–17 में निम्न परियोजनाओं के मॉडल अद्यतन कर रिपोर्ट प्रेषित की गयी।
   1. बिलगॉव परियोजना 2–डी मॉडल जिला डिण्डौरी।
   2. बानसुजारा 2–डी मॉडल जिला टीकमगढ़।
   3. पवई परियोजना 2–डी मॉडल जिला पन्ना।
   4. कुण्डालिया परियोजना 2–डी मॉडल जिला राजगढ़।

मिट्टी, पदार्थ परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल एवं जबलपुर

1) परियोजना में उपयोग की जाने वाली मिट्टी की गुणवत्ता संबंधी विभिन्न परीक्षण कर उसकी उपयोगिता सुनिश्चित करना।
2) परियोजना में प्रयुक्त की जाने वाली निर्माण सामग्री जैसे रेत, गिट्टी, सीमेंट आदि का परीक्षण कर गुणों के आधार पर उपयोगिता सुनिश्चित करना कि वे निर्माण में किस सीमा तक उपयोग की जा सकती है अथवा नहीं।
3) मिट्टी के अधिकतम घनत्व तक काम्पेक्ट करने के लिये जल की मात्रा का आकलन करना।
4) सीमेंट, रेत, गिट्टी, पानी की मात्रा का मिक्स डिजाइन द्वारा विभिन्न ग्रेड की कांक्रीट हेतु निर्धारण करना।

वर्ष–2016–17 में संपादित परीक्षण का विवरण

स.क्र.	संभाग का नाम	मिट्टी परीक्षण (कुल नमूने)	रेत परीक्षण (कुल नमूने)	गिट्टी परीक्षण (कुल नमूने)	सीमेंट परीक्षण (कुल नमूने)	कुल नमूने
1	2	3	4	5	6	7
1.	मिट्टी/गिट्टी परीक्षण संभाग, भोपाल	1894	20	133	883	2930
2.	मिट्टी/गिट्टी परीक्षण संभाग, जबलपुर	385	–	39	–	424

II. हथाईखेड़ा प्रयोगशाला का आधुनिकीकरण/जबलपुर प्रयोगशाला का आधुनिकीकरण :–

हथाईखेड़ा प्रयोगशाला में गिट्टी एवं गिट्टी परीक्षण तथा रसायन प्रयोगशाला को आधुनिक कर एन.ए.बी.एल. से मान्यता प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है।

5.4 जल मौसम विज्ञान संचालनालय :–

मध्यप्रदेश में जल मौसम विज्ञान संरचना की स्थापना वर्ष 1981 में की गई थी। इस संरचना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के जल मौसम विज्ञान के आंकड़े एकत्र करने हेतु जल प्रवाह मापन स्थल, वर्षा मापन स्टेशन एवं पूर्ण मौसम केन्द्र स्थापित करना है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु 3 परियोजनायें 1. जल मौसम विज्ञान परियोजना नेटवर्क म.प्र. 2. जल मौसम विज्ञान परियोजना (प्रथम चरण) 3. जल मौसम विज्ञान परियोजना (द्वितीय चरण) का क्रियान्वयन हुआ है। म.प्र. के जल ग्रहण क्षेत्र में स्थित विभिन्न मुख्य नदियों एवं सहायक नदियों पर निर्धारित मानक के अनुसार जल मापन स्थल स्थापित किये गये है। प्रथम चरण के अंतर्गत वैनगंगा, माही एवं ताप्ती कछार के जल ग्रहण क्षेत्रफल स्थलों का उन्नयन कार्य करते हुये राज्य स्तर, संभागीय एवं उप संभागीय कार्यालय स्तर में आंकड़ा केन्द्र स्थापित कर एकत्र आंकड़ो का विश्लेषण कार्य प्रारंभ किया गया। द्वितीय चरण के अंतर्गत वैनगंगा, ताप्ती एवं माही कछार को सूचना प्रौद्योगिकी पद्धति को

अपनाते हुये डिजिटल वाटर लेवल रिकार्डर जल प्रवाह स्थलों पर स्थापित किये गये है। जल मौसम के आंकड़े एकत्र करने के लिये रियल टाईम डाटा एक्विजीशन सिस्टम (Real Time Data Acquisition System) वैनगंगा कछार के अंतर्गत क्षेत्र में 28 वर्षामापी एवं 2 पूर्ण मौसम केन्द्र पर रेनगेज स्टेशन आदि स्थापित कर डाटा कलेक्शन एवं डाटा लॉग को जी.एस.एम./जी.पी.आर.एस. सिस्टम से जोड़कर भोपाल एवं सिवनी स्थित डाटा सेंटर में आंकड़े एकत्र किये जा रहे है। यह जल मौसम विज्ञान आंकड़े एकत्र करने हेतु सूचना एवं प्रौद्योगिकी की नवीन पद्धति है।

5.5 भू–जल सर्वेक्षण ईकाई:–

भूजल सर्वेक्षण संरचना द्वारा सन 1970 से भूजल के सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा है। इस संरचना के अधीन अधीक्षण यंत्री, भूजल सर्वेक्षण मण्डल, भोपाल जो कि चार संभागीय वरिष्ठ भूजल विद कार्यालय उज्जैन, सागर, ग्वालियर और खण्डवा तथा 23 जिला भूजल सर्वेक्षण इकाईयों तथा रसायनिक प्रयोगशालाऐं सागर, ग्वालियर, उज्जैन, भोपाल के साथ भूजल संवर्धन, भूजल विकास एवं जल विश्लेषण का कार्य कर रहा है। इसके अतिरिक्त अधीक्षण यंत्री, सर्वे एवं अनुसंधान मण्डल जबलपुर तीन संभागीय वरिष्ठ भूजल विद कार्यालय जबलपुर, बालाघाट, रीवा तथा 14 जिला भूजल सर्वेक्षण इकाईयों के साथ एवं रसायनिक प्रयोगशालाओं द्वारा जबलपुर बालाघाट एवं रीवा में भूजल संवर्धन एवं जल विश्लेषण का कार्य निष्पादन सुचारू रूप से किया जा रहा है।

भू–जल सर्वेक्षण संरचना का नियमित कार्य:–

भूजल सर्वेक्षण संरचना के अंतर्गत कुल 5071 स्थायी अवलोकन कूप एवं 540 पीजो मीटर हैं। इस संरचना द्वारा भूजल स्तर मापन का कार्य वर्षा पूर्व एवं वर्षा पश्चात किया जाता है। 01 जनवरी (रबी मौसम के दौरान) 20 से 30 मई (वर्षा पूर्व) 20 अगस्त से 30 अगस्त (वर्षा ऋतु) एवं 1 नवंबर से 10 नवम्बर (वर्षा पश्चात) किया जाता है।

5.6 केन बेतवा लिंक परियोजना :–

दिनांक 25.08.2005 को म.प्र. शासन, उत्तरप्रदेश शासन एवं भारत सरकार के मध्य केन बेतवा लिंक परियोजना का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तैयार करने हेतु त्रिपक्षीय मेमोरंडम ऑफ अंडर स्टेंडिंग (Memorandum of Understanding) हस्ताक्षरित किया गया। परियोजना का मुख्य उद्देश्य केन बेसिन एवं बेतवा बेसिन में सिंचाई सुविधा विकसित करना तथा केन बेसिन का सरप्लस जल बेतवा बेसिन में लिंक नहर के माध्यम से व्यपवर्तित किया जाना तथा लिंक नहर के रास्ते में सिंचाई एवं पेयजल की व्यवस्था करना है।

भारत सरकार द्वारा केन बेतवा लिंक परियोजना की डी.पी.आर. उपलब्ध कराने तथा निर्माण पूर्व वांछित विभिन्न स्वीकृतियां, यथा वन एवं पर्यावरण आदि प्राप्त करने की जिम्मेदारी नेशनल वॉटर डेव्हलपमेंट एजेंसी (एन.डब्ल्यू.डी.ए.) को सौंपी गई है।

एन.डब्ल्यू.डी.ए. द्वारा कार्य सुविधा की दृष्टि से परियोजना की डी.पी.आर. दो चरणों में बनाई गई है :–

प्रथमचरणः– प्रथम चरण का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण द्वारा वर्ष 2010 में तैयार किया गया था। वर्ष 2007–08 के मूल्य आधार पर कार्यों की लागत रू. 9,392.98 करोड़ आंकलित की गई थी। परियोजना प्रतिवेदन अनुसार केन नदी पर पन्ना जिले में दोधन बांध, दो पावर हाउस एवं केन बेतवा लिंक केनाल का निर्माण शामिल है। दोधन बांध की प्रस्तावित जीवित जल क्षमता 2,684 मि.घ.मी. है। परियोजना में कुल डूब क्षेत्र 9,000 हेक्टर जिसमें 5,258 हेक्टर घना वन क्षेत्र, 2,171 हेक्टर, कृषि योग भूमि, 1,571 हेक्टर तालाबों, नदियों, नालों की भूमि आ रही है।

द्वितीय चरणः– केन बेसिन का जल बेतवा बेसिन में लाकर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा तथा पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए बेतवा बेसिन में कोठा बैराज, बीना काम्प्लेक्स परियोजना तथा लोअर ओर परियोजना प्रस्तावित की गई है।

इस प्रकार केन बेतवा लिंक परियोजना से म.प्र. में केन कछार में लगभग 3.57 लाख हेक्टर एवं बेतवा कछार में लगभग 1.70 लाख हेक्टर, कुल 5.27 लाख हेक्टर सैंच्य क्षेत्र में सिंचाई संभव हो सकेगी। साथ ही छतरपुर एवं टीकमगढ जिलों में पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध होगी।

इस परियोजना से उत्तरप्रदेश में बरियारपुर पिक–अप–वियर से विद्यमान सिंचित क्षेत्र में सिंचाई की सुनिश्चितता रहेगी।

भारत सरकार, जल संसाधन मंत्रालय व्दारा इस परियोजना के क्रियान्वयन की व्यवस्था बाबत प्रस्ताव विचाराधीन है।

5.7 जल संसाधन विभाग के अंतर्गत लोकायुक्त संगठन एवं अन्य माध्यमों से प्राप्त शिकायती प्रकरण :–

जल संसाधन विभाग से संबंधित लोकायुक्त संगठन, राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, माननीय मुख्य मंत्री, सांसद, विधायक अन्य जनप्रतिनिधि, शासन तथा सामान्य जनों से प्राप्त शिकायतों का निराकरण कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल के सतर्कता प्रकोष्ठ के माध्यम से किया जाता है। सतर्कता प्रकोष्ठ के अंतर्गत लोकायुक्त कक्ष, सतर्कता कक्ष, सामान्य शिकायत/जन शिकायत निवारण कक्ष, एकल नस्ती/उड़नदस्ता कक्ष के माध्यम से वर्ष 2016–17 में प्राप्त एवं व्यवहारित शिकायती प्रकरणों का विवरण निम्नानुसार है :–

5.7.1 लोकायुक्त प्रकोष्ठः–

लोकायुक्त कक्ष द्वारा लोकायुक्त कार्यालय से प्राप्त शिकायती प्रकरणों पर कार्यवाही की जाती है । विवरण निम्नानुसार है :–
दिनांक 01.01.16 से 31.01.17 तक लोकायुक्त कार्यालय में 25 शिकायतें दर्ज हुई है। प्रकोष्ठ द्वारा लोकायुक्त कार्यालय द्वारा मांगी गई समस्त जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है।

5.7.2 राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो से प्राप्त प्रकरण :–

राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो द्वारा सीधे मूलतः विभाग को प्रेषित तथा शासन के माध्यम से विभाग को मूलतः प्रेषित प्रकरणों पर कार्यवाही की जाकर जांच प्रतिवेदन शासन/ब्यूरो को प्रेषित किया जाता है। दिनांक 01.01.16 से दिनांक 31.01.17 तक 25 शिकायती प्रकरण प्राप्त हुए, इस अवधि में 08 प्रकरण शासन स्तर पर समाप्त किए गए। शेष शिकायती प्रकरणों के निराकरण हेतु कार्यवाही की जा रही है।

5.7.3 सतर्कता प्रकोष्ठ :–

माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय, महामहिम राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री,मंत्री जल संसाधन विभाग, अन्य मंत्रीगण, सांसद, अन्य जन प्रतिनिधि, मुख्य सचिव महोदय, एवं शासन से प्राप्त शिकायतों की जांच सतर्कता कक्ष के माध्यम से की जाती है तथा जांच उपरांत निर्देशानुसार जांच प्रतिवेदन शासन तथा उच्च स्तर पर प्रेषित किये जाते हैं। दिनांक 01.01.16 से 31.01.17 तक 55 शिकायती प्रकरण प्राप्त हुये। इस अवधि में 48 प्रकरण जांच पश्चात् नस्तीबद्ध किये गये हैं। शेष पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

5.7.4 जन शिकायत निवारण/सामान्य शिकायत प्रकोष्ठः–

शासन के जन शिकायत निवारण विभाग से प्राप्त शिकायतें तथा सामान्य नागरिक, विभिन्न संघों के पदाधिकारियों से सीधे अथवा शासन के माध्यम से प्राप्त शिकायतें इस कक्ष द्वारा व्यवहारित की जाती हैं।

5.7.5 जन शिकायत निवारण विभाग से प्राप्त शिकायतें :–

वर्ष 2016–17 में दिनांक 31.12.16 तक 54 शिकायती प्रकरण, जन शिकायत निवारण विभाग से प्राप्त हुए, दिनांक 01.01.16 से 31.12.16 तक कुल 20 प्रकरणों का निराकरण किया गया। शेष प्रकरणों का निराकरण किया जा रहा है।

5.7.6 सामान्य शिकायतें :–

वर्ष 2016–17 में दिनांक 31.01.17 तक 71 शिकायती प्रकरण प्राप्त हुये, दिनांक 01.01.16 से 31.12.16 तक 55 प्रकरणों का निराकरण किया गया। शेष प्रकरणों का निराकरण किया जा रहा है।

5.7.7 एकल नस्ती प्रकरण :–

दिनांक 01.01.16 से 31.01.17 तक शासन से 28 शिकायतें प्राप्त हुई। इस अवधि में 11 प्रकरणों का निराकरण किया गया है। शेष प्रकरणों का निराकरण किया जा रहा है।

5.7.8 उड़नदस्ता द्वारा जांच के प्रकरण :–

दिनांक 01.01.16 से 31.01.17 तक उड़न दस्ता दल से जांच हेतु 06 प्रकरण प्राप्त हुये। दिनांक 01.01.16 से दिनांक 31.01.17 तक कुल 03 प्रकरणों के तहत् जांच प्रतिवेदन माननीय मंत्रीजी/शासन को प्रेषित किया गया है। शेष प्रकरणों पर कार्यवाही जारी है।

5.8 न्यायालयीन प्रकरण :–

विभिन्न न्यायालयों में चल रहे न्यायालयीन प्रकरणों की जानकारी जनवरी–2017 की स्थिति में निम्नानुसार है:–

स. क्र.	विवरण	श्रम न्यायालय	औद्योगिक न्यायालय	उच्च न्यायालय	सर्वोच्च न्यायालय	अवमानना	उपादान	सिविल कोर्ट	आर्बीट्रेशन	कुल योग
1	दै.वे.भो. से संबंधित	228	21	573	82	156	47	2	0	1109
2	कार्यभारित स्थापना से संबंधित प्रकरण	02	01	185	0	40	01	0	0	229
3	नियमित स्थापना से संबंधित प्रकरण	01	0	436	05	46	01	02	0	491
4	ठेकेदारों से सबंधित	02	0	154	06	01	0	36	118	317
5	भू–अर्जन से संबंधित	0	0	657	40	0	0	1955	0	2552
6	अन्य जनसामान्य से संबंधित प्रकरण	04	0	174	01	22	05	89	10	305
	कुल योग	**237**	**22**	**2179**	**134**	**265**	**54**	**2084**	**128**	**5103**

5.9 विधानसभा प्रकोष्ठ :–

विभाग में वर्ष 2016–17 में प्राप्त विधान सभा प्रश्न ध्यानाकर्षण सूचना, स्थगन, अधिसूचना, अशासकीय संकल्प, अभ्यावेदन याचिका की स्थिति निम्नानुसार है:–

प्रकरण के प्रकार	जनवरी–2017 तक
विधान सभा प्रश्न	579
ध्यानाकर्षण सूचना	53
अधिसूचना	0
अशासकीय संकल्प	0
स्थगन प्रस्ताव	1
आश्वासन	36
अभ्यावेदन	0
याचिका	70
शून्य काल	0
कट मोशन	0
पढ़ी गई सूचना	22

5.10 सूचना का अधिकार

जल संसाधन विभाग के कार्यों में पारदर्शिता लाये जाने के उद्देश्य से म.प्र. शासन द्वारा भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुरूप मई 2005 से सूचना का अधिकार अधिनियम लागू किया गया है। "सूचना के अधिकार" के संबध में विभागीय मेन्युअल के अनुरूप जनसाधारण शासकीय अभिलेख की प्रतियां प्राप्त कर सकते हैं। वर्तमान में शासन स्तर पर सहायक लोक सूचना अधिकारी अवर सचिव, लोक सूचना अधिकारी, उप सचिव एवं अपीलीय अधिकारी सचिव, जल संसाधन हैं। विभागाध्यक्ष स्तर पर मुख्य कार्मिक अधिकारी को प्रमुख अभियंता कार्यालय में लोक सूचना अधिकारी तथा वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी को सहायक लोक सूचना अधिकारी नामांकित किया गया हैं। प्रमुख अभियंता विभागीय अपीलीय अधिकारी हैं।

5.11 दृष्टि पत्र (Vision Document) 2018

शासन के द्वारा योजनाबद्ध तरीके से सिंचाई क्षमता के विकास हेतु दृष्टिपत्र बनाया गया है, जिसके मुख्य अंश निम्नानुसार है :–

- सिंचाई और कमाण्ड क्षेत्र विकास की प्रदेश के अभूतपूर्व कृषि विकास में विगत पॉच वर्षों में सिंचाई सुविधा के व्यापक विस्तार की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भविष्य में जहॉ कृषि क्षेत्र बढ़ाने पर निरंतर बल दिया जाता रहेगा, वहीं उपलब्ध जल का दक्षतापूर्ण उपयोग भी एक बड़ी चुनौती होगी। कमाण्ड क्षेत्र विकास, लघु सिंचाई का उपयोग तथा आर्थिक मूल्य निर्धारण को प्राथमिकता दी जायेगी।
- प्रतिवर्ष दो लाख हेक्टर अतिरिक्त क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार।
- 12 वीं योजना में परिलक्षित सभी सिंचाई परियोजनाओं को पूरा कर रबी में संचयी वास्तविक सिंचित क्षेत्र को कम से कम 33 लाख हेक्टर तक ले जाया जायेगा।
- वर्ष 2018 तक सिंचाई में करीब 700 लघु परियोजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य प्राप्त किया जायेगा।
- वर्तमान की सभी बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं में नहरी अस्तरीकरण की पहल की जायेगी।
- सभी जिलों में सिंचाई के लिये प्रतिदिन 10 घण्टे बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की जायेगी।
- चिन्हित क्षेत्रों में कमाण्ड क्षेत्र विकास सिद्धांत आधारित माईक्रो इरीगेशन क्षेत्राच्छादन में पॉच गुना से अधिक की बढ़ोतरी।
- रेन वाटर हारवेस्टिंग और भू–जल पुनर्भरण को जल संग्रहण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत प्रोत्साहन।
- कुल पॉच लाख हेक्टर क्षेत्र में फील्ड चैनल्स और वाटर कोर्स का निर्माण।

- जल प्रयोग की दक्षता में वृद्धि हेतु आर्थिक मूल्यांकन को बढ़ावा और विशेषज्ञ सलाह सुनिश्चित करने के लिए एक जल विनियमन प्राधिकरण की स्थापना की जायेगी।
- प्रभावी अन्तर्विभागीय समन्वय के उद्देश्य से समग्र कमाण्ड क्षेत्र विकास परियोजनाओं का प्रारम्भ।
- सभी बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजाओं में कमाण्ड क्षेत्र का विकास किया जायेगा।
- कृषि जल प्रयोग की दक्षता में 10 प्रतिशत वृद्धि की जावेगी।
- सभी नई मध्यम और बड़ी सिंचाई परियोजओं में कमाण्ड क्षेत्र के 10 प्रतिशत का माईक्रो इरीगेशन के तहत अच्छादन। भविष्य में सभी सिंचाई परियोजनाओं में कमाण्ड क्षेत्र का दो –तिहाई घटक माइक्रो इरीगेशन का होगा।
- सतही और भूमिगत जल के संयुक्त प्रयोग को सभी बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के कमांड क्षेत्र में प्रोत्साहन दिया जायेगा।
- सभी बड़े कमांड क्षेत्रों के लिये एक प्रभावशाली संस्थागत व्यवस्था स्थापित की जायेगी।
- WALMI और संबंधित संस्थाओं को सशक्त कर संस्थागत प्रशिक्षण क्षमताओं का विस्तार।
- नर्मदा–मालवा वॉटर लिंक स्थापित कर मालवा क्षेत्र को सिंचाई के लिये जल की उपलब्धता
- नर्मदा–मालवा लिंक परियोजना के अंतर्गत माईक्रो इरीगेशन और ड्रिप इरीगेशन के माध्यम से सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाया जायेगा। माईक्रो इरीगेशन नेटवर्क परियोजना के माध्यम से 7 लाख हेक्टर कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी।
- नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की पहल के तहत नर्मदा जल के माध्यम से नदियों और भूमिगत जल को रिचार्ज किया जायेगा। इससे 6 लाख हेक्टर क्षेत्र को लाभ होगा।

———

अध्याय – छः
जेण्डर मुद्दों पर विभागीय गतिविधि

मध्यप्रदेश देश में ऐसा पहला राज्य है जहां सिंचाई प्रबंधन में महिलाओं की भागीदारी एवं भूमिका अधिनियम के माध्यम से सुनिश्चित की गई है। इस उद्धेश्य से म.प्र. सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम 1999 की धारा 3 की उपधारा 4 (क) (एक) के द्वारा किसी भी जल उपभोक्ता क्षेत्र में ऐसे भू–धारकों की पत्नियॉ जो कि भू–धारक नही है, को भी भू–धारक मान्य किया गया है। इस प्रकार से महिलाओं को कृषक संगठन के निर्वाचन में मताधिकार एवं उन्हें चुनाव लड़ने का अधिकार प्रदाय किया जाकर सशक्त किया गया है।

म.प्र. शासन जल संसाधन विभाग भोपाल के पत्र क्रमांक 32/1/99/मध्यम/31/1244 दिनांक 13.5.2000 के अनुसार यदि किसी कृषक संगठन में कोई महिला सदस्य निर्वाचित नहीं होती तो कृषक संगठन की प्रबंध समिति उसी संगठन क्षेत्र की किसी महिला को प्रबंध समिति के सदस्य के रूप में सहयोजित करेगी, ताकि सिंचाई प्रबंधन में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो सके।

म.प्र. सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम 1999 की धारा 11 के अधीन कृषक संगठन के संचालन के लिए गठित की जाने वाली 6 उपसमितियों में से एक उपसमिति "महिलाओं की भागीदारी उपसमिति" गठित किये जाने का प्रावधान है जिसमें सभी 6 सदस्य महिलायें होंगी एवं इस समिति की अध्यक्षता भी महिला सदस्य द्वारा की जाती है। इस प्रकार से प्रदेश में महिलाओं के उत्थान एवं उन्हें सशक्त बनाए जाने के लिए कृषि प्रबंधन में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित किये जाने के लिये प्रावधान है।

अध्याय –सात
विभाग की प्रतिबद्धताएं एवं महत्वपूर्ण उपलब्धियां

7.1 विभाग की प्रतिबद्धता :

मध्यप्रदेश शासन पूर्ण संकल्पित है कि खेती को लाभ का व्यवसाय बनाया जाये। जल संसाधन विभाग को सैंच्य क्षेत्र बढाने का महती दायित्व सौंपा गया है । इसमें कृषकों को सिंचाई सुविधा में बढावा देना एवं उन्नत किस्म के खाद–बीज हेतु ऋण सस्ते व्याज दरों पर उपलब्ध कराने बावत समुचित प्रयास किये जाना कृषकों के लिए अति महत्वपूर्ण है ।

सिंचाई संसाधनों में वृद्धि करना एक प्रमुख लक्ष्य है। इसको पूर्ण करने के लिए शासन द्वारा सभी दिशाओं में समुचित प्रयास कर सफलता प्राप्त की जा रही है। आगामी दो वर्षों में 3.50 लाख हेक्टर अतिरिक्त निर्मित सिंचाई किया जाना लक्षित है, जिससे प्रदेश में कुल निर्मित सिंचाई क्षमता 29.66 लाख से बढ़कर 33.16 लाख हेक्टर हो जायेगी।

राज्य के सिंचाई प्रतिशत को राष्ट्रीय औसत के समतुल्य किये जाने के लिये पुरजोर प्रयास किये जा रहे हैं। परियोजनाओं के निर्माण कार्यों को त्वरित गति से पूरा करने के लिये बड़े पैमाने पर धन की व्यवस्था की गई है। 11वीं पंचवर्षीय योजना वर्ष 2007–2012 में सिंचाई प्रक्षेत्र के लिये रु. 8715.33 करोड़ का निवेश किया जाकर 5.07 लाख हेक्टर सिंचाई क्षमता सृजित की गई थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना वर्ष 2012 से 2017 में रु. 17614 करोड़ का निवेश प्रावधानित होकर 5.66 लाख हेक्टर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित करने का लक्ष्य है।

सभी सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत हर खेत को सिंचाई जल पहुंचाने के लिये विभाग प्रतिबद्ध है ताकि प्रदेश में निर्मित सिंचाई परियोजनाओं के जल का इष्टतम दक्षतापूर्ण उपयोग सुनिश्चित् हो सके। इसी क्रम में समस्त वृहद एवं मध्यम परियोजनाओं की नहरों की लाईनिंग कराने का कार्य चरणबद्ध तरीके से कराने का निर्णय लिया गया है जिससे जल उपयोग दक्षता में वृद्वि हो सके।

सिंचाई जल के अपव्यय को रोकने तथा उपलब्ध जल का अधिकतम लाभ लेने के उद्देश्य से माईक्रो इरिगेशन प्रणाली अपनाने का निर्णय लिया गया है। जल संसाधन विभाग की मोहनपुरा, बानसुजारा, कुण्डालिया, पंचमनगर, चंदेरी, गरोठ, नईगढ़ी एवं

रामनगर बृहद परियोजनाओं तथा पारसडोह मध्यम परियोजना में माइक्रो इरिगेशन पद्धति से सिंचाई उपलब्ध करवाने हेतु प्रावधान किये गये हैं।

विभाग के द्वारा उपलब्ध सीमित संसाधनों के साथ–साथ बुन्देलखण्ड पैकेज, नाबार्ड एवं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना इत्यादि से भरसक प्रयास कर परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु अधिकतम धनराशि प्राप्त की जा रही है।

7.2 महत्वपूर्ण उपलब्धियॉं

- विभाग को वर्ष 2016–17 में निर्माण कार्यों के लिये उपलब्ध आवंटन रु. 6925.62 करोड़ के विरूद्ध जनवरी 2017 तक रु. 5363.08 करोड़ का व्यय किया जा चुका है।
- वर्ष 2016–17 में 1.3 लाख हेक्टर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता निर्मित करने के लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 1.06 लाख हेक्टर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता निर्मित कर ली गई है।
- वर्ष 2016–17 में विभाग द्वारा रबी सिंचाई लक्ष्य 27.06 लाख हेक्टर के विरुद्ध जनवरी 2017 तक 26.38 लाख हेक्टर क्षेत्र में रबी सिंचाई की जा चुकी है।
- 2 वृहद् परियोजनाएं नईगढ़ी माईक्रो इरीगेशन (जिला रीवा) एवं रामनगर माइक्रो इरीगेशन परियोजना (जिला सतना) की प्रशासकीय स्वीकृतियाँ जारी की जाकर निर्माण प्रक्रिया में है।
- 10 मध्यम परियोजनाओं (आसन, भाम, कारम, टेम, हिरन, बरखेड़ा, बघराजी, खारमेर, जूडी एवं साजली) की प्रशासकीय स्वीकृतियाँ जारी कर प्रारंभ की गईं हैं।
- सिंहस्थ–2016 के अतिमहत्वपूर्ण घटक खान नदी व्यपवर्तन परियोजना का कार्य पूर्ण हो गया है।
- इस वर्ष 2 मध्यम परियोजनाओं (कुशलपुरा एवं महुअर) को भौतिक रूप से पूर्ण किया गया है।
- वर्ष 2016–17 में विभिन्न मदों के अंतर्गत जनवरी–2017 तक 153 नवीन लघु परियोजनाओं की स्वीकृतियां जारी की गई हैं। जिनके पूर्ण होने पर कुल 57,207 हेक्टर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।
- वर्ष 2016–17 में 100 लघु परियोजनाएं पूर्ण करने के लक्ष्य के विरुद्ध जनवरी–2017 तक कुल 61 लघु सिंचाई परियोजनाएँ पूर्ण की गई हैं जिनसे 25,137 हेक्टर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता निर्मित की गई।

- वर्ष 2016–17 में जनवरी–17 तक आर.आर.आर. योजना के अंतर्गत 35 योजनाएं पूर्ण की गई हैं, जिससे 907.59 हेक्टर में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता निर्मित हुई।
- पेंच वृहद परियोजना जिला छिंदवाड़ा में जून–2016 में शीर्ष कार्य पूर्ण एवं गेट लगाये जाकर 181 मि.घन मीटर जल संग्रह किया गया एवं 20,000 हेक्टर क्षेत्र में सिंचाई की गई है।
- मोहनपुरा एवं बानसुजारा वृहद परियोजनाओं के निर्माण कार्य त्वरित गति से प्रगतिशील हैं। इनके पूर्ण होने पर 2,00,000 हेक्टर में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी।
- कुण्डालिया वृहद परियोजना के अंतर्गत बांध का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाकर 25 प्रतिशत पूर्ण किया गया है। इस योजना के पूर्ण होने पर 1,25,000 हेक्टर सैंच्य क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी।
- नाबार्ड ऋण सहायता अन्तर्गत वर्ष 2016–17 में 2 वृहद एवं 4 मध्यम परियोजनाएँ (कुल 06 परियोजनाएँ) निर्माणाधीन हैं।
- कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2016–17 में 1.26 लाख हेक्टर लक्ष्य के विरुद्ध जनवरी 2017 तक 1.08 लाख हेक्टर में कमांड क्षेत्र विकास कार्य किये गये हैं।
- सिंचाई के दौरान जल उपभोक्ता संथा के अध्यक्षों एवं नहर के अंतिम छोर के किसानों से मोबाईल फोन पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सीधे सतत् संपर्क करके सिंचाई व्यवस्था की प्रभावी मॉनीटरिंग की गई है जिससे नहर के अंतिम छोर तक पानी पहुँचाना सुनिश्चित किया गया।
- नवंबर 2016 में 1765 जल उपभोक्ता संथाओं के अध्यक्ष व सदस्यों के निर्वाचन संपन्न करवाये गये। वर्तमान में वृहद, मध्यम एवं लघु परियोजनाओं के कमाण्ड क्षेत्रों में 2024 जल उपभोक्ता संथाएं कार्यरत हैं, जिन्हें कुल 24.38 लाख हेक्टर कमाण्ड क्षेत्र के सिंचाई प्रबंधन का उत्तरदायित्व सौंपा गया है।

———

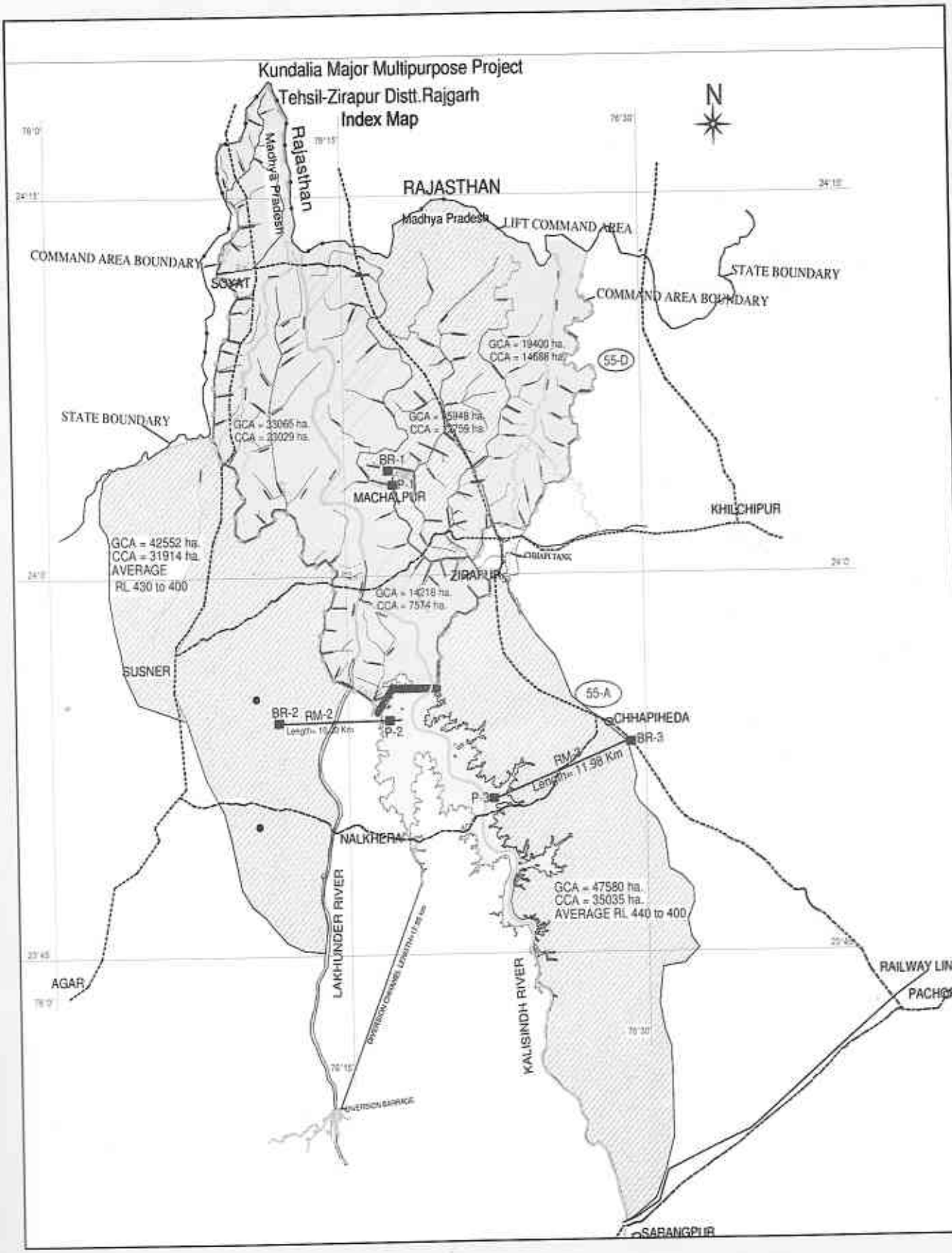
Kundalia Major Multipurpose Project
Tehsil-Zirapur Distt.Rajgarh
Index Map
N
Rajasthan
Madhya Pradesh
RAJASTHAN
Madhya Pradesh
LIFT COMMAND AREA
COMMAND AREA BOUNDARY
SOYAT
STATE BOUNDARY
COMMAND AREA BOUNDARY
STATE BOUNDARY
GCA = 19400 ha.
CCA = 14686 ha.
55-D
GCA = 33065 ha.
CCA = 23029 ha.
GCA = 15948 ha.
CCA = 12759 ha.
BR-1
P-1
MACHALPUR
KHILCHIPUR
GCA = 42552 ha.
CCA = 31914 ha.
AVERAGE
RL 430 to 400
ZIRAPUR
GCA = 14018 ha.
CCA = 7574 ha.
SUSNER
55-A
BR-2
RM-2
P-2
CHHAPIHEDA
BR-3
RM-3
Length= 11.98 Km
P-3
NALKHERA
GCA = 47580 ha.
CCA = 35035 ha.
AVERAGE RL 440 to 400
LAKHUNDER RIVER
KALISINDH RIVER
AGAR
RAILWAY LINE
PACHOR
SARANGPUR

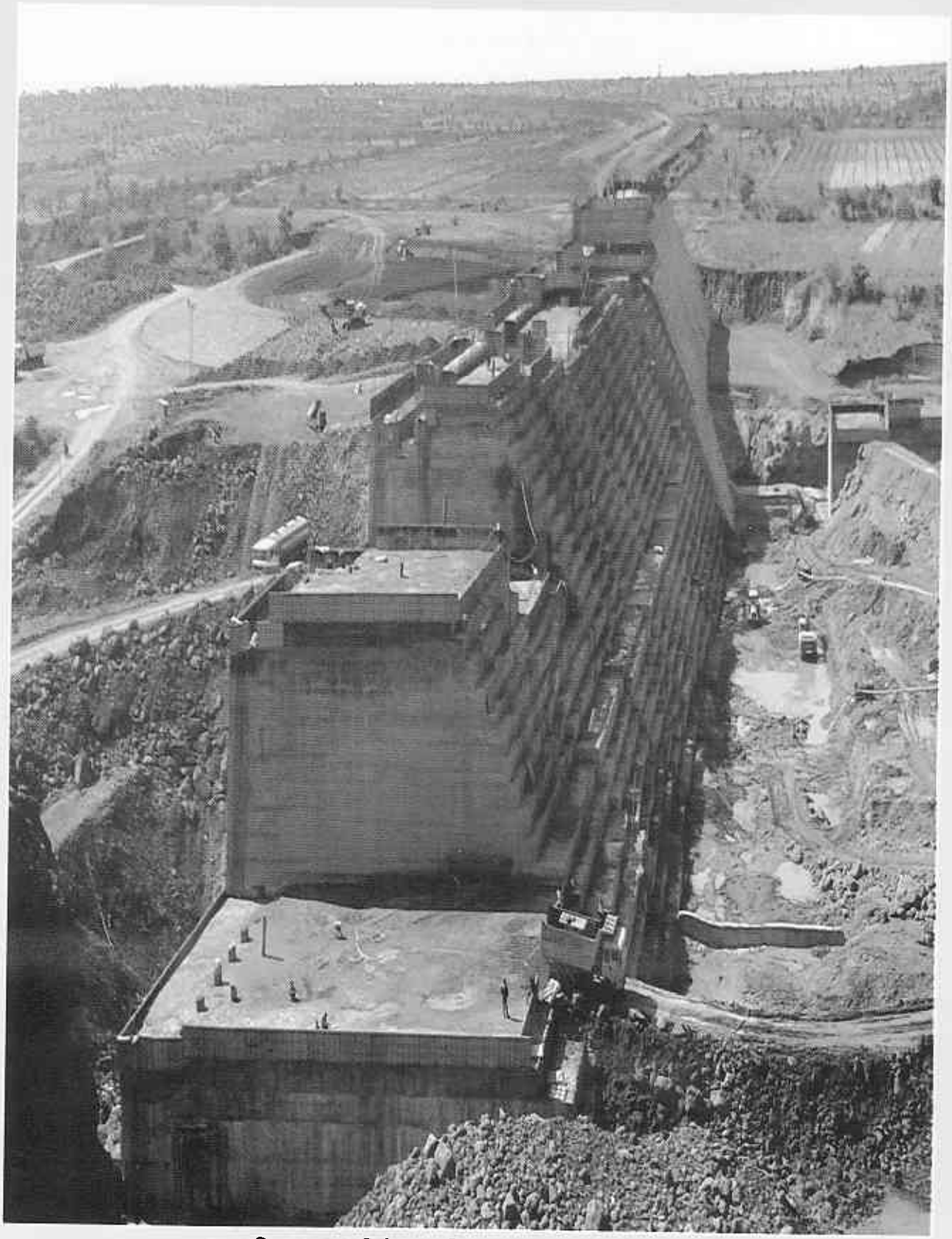

कुण्डालिया वृहद् परियोजना, जिला राजगढ़, पक्के बांध का कार्य